

## महात्मा गांधी कारी विद्यापीठ, वाराणसी

### सम्बद्ध महाविद्यालयों की सूची

जनपद कोड - 01 (वाराणसी)

क्रमांक	महाविद्यालय का नाम	सम्बद्धता प्रकार	सम्बद्धता सत्र	कला/विधि/शिक्षा/विज्ञान/वाणिज्य/कृषि संकाय के विषयों का नाम (स्नातक/स्नातकोत्तर)	राजभवन/शासन द्वारा प्राप्त सम्बद्धता का पत्रांक व तिथि	सम्बद्धता की अवधि	सम्बद्धता की स्थिति	निर्धारित सीट	शासनादेश के अनुसार सीट/मूल सीट
1	डॉ. राम मनोहर लोहिया स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भैरव तालाब, वाराणसी	स्थायी	1971	स्नातक- हिन्दी, संस्कृत, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास मूगोल, मनोविज्ञान (24.12.2012)		दिनांक-01.07.1974 से स्थायी			480
		स्थायी	1993	स्नातकोत्तर- राजनीतिशास्त्र	स्थायी पत्रांक-ई.स.2452/जी.एस., दिनांक-16.09.2003	दिनांक-01.07.2003 से स्थायी			60
		स्थायी	1995	स्नातकोत्तर- मनोविज्ञान	स्थायी पत्रांक-ई.स.2452/जी.एस., दिनांक-16.09.2003	दिनांक-01.07.2003 से स्थायी			30
		अस्थायी स्थायी	2013 2017	स्नातकोत्तर-प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 366/सत्तर-6-2013-2(223)/ 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 विस्तारण-कु0स0-2 बी स0अ0/1637/01-395-2015/2015 दिनांक 30 मई, 2015 स्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/2507/01-395-2015/2017 दिनांक 14 जुलाई, 2017	दिनांक-01.07.2013 से दो वर्ष दिनांक-01.07.2015 से स्थायी			120
		अस्थायी स्थायी	2013	स्नातक-बी0काम0	अस्थायी-संख्या-सम्ब0 366/सत्तर-6-2013-2(223)/ 2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 विस्तारण-कु0स0-2 बी स0अ0/1985/01-524-2016/2016 दिनांक 30 मई, 2016 विस्तारण-कु0स0-2 बी स0अ0/2322/01-524-2016/2017 दिनांक 30 मई, 2017 विस्तारण-कु0स0-2 बी स0अ0/2854/01-524-2016/2017 दिनांक 18.01.2018	दिनांक-01.07.2013 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2016 से एक वर्ष दिनांक 01.07.2017 से एक वर्ष दिनांक-01.07.2017 से स्थायी			240

8	श्री बलदेव स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बड़ागाँव, वाराणसी	स्थायी	1965	स्नातक- अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र		दिनांक-01.07.1969 से स्थायी		420
		स्थायी	2001	स्नातकोत्तर- इतिहास, हिन्दी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र	स्थायी पत्रांक-ई.स.2696/जी.एस., दिनांक-20. 09.2003	दिनांक-01.07.2003 से स्थायी		240
		स्थायी	1971	स्नातक- भौतिक, रसायन, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित		दिनांक-01.07.1977 से स्थायी		300
		स्थायी	1992	स्नातकोत्तर- गणित	स्थायी पत्रांक-2184/जी.एस., दिनांक-08.05. 1997	दिनांक-01.07.1997 से स्थायी		60
		स्थायी	1998	स्नातकोत्तर- रसायन, वनस्पति विज्ञान	स्थायी पत्रांक-ई.स.2696/जी.एस., दिनांक-20. 09.2003	दिनांक-01.07.2003 से स्थायी		60
		अस्थायी	2013	स्नातक- शारीरिक शिक्षा	अस्थायी संख्या-सम्ब0 307/सत्तर-6-2013-2(214)/2013 दिनांक 20 अगस्त, 2013 विस्तारण-कु0स0-2 बी स0अ0/1947/01-525-2016/2016 दिनांक 30 नई, 2016	दिनांक-01.07.2013 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2016 से एक वर्ष		60
		अस्थायी स्थायी	2014	स्नातक-गृहविज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान	अस्थायी-सम्ब0 832/सत्तर-6-2014-2(446)/2014 दिनांक 25.06.2014 अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/2462/01-722-2017/2017 दिनांक 22 जून, 2017 स्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/3900/01-1143-2020/2020 दिनांक 28 अक्टूबर, 2020	दिनांक-01.07.2014 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2017 से तीन वर्ष दिनांक-01.07.2020 से स्थायी		180
		अस्थायी	2020	स्नातकोत्तर-भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान	अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/3852/01-1168-2020/2020 दिनांक 15 जुलाई, 2020	दिनांक-01.07.2020 से दो वर्ष		60
		अस्थायी	2020	स्नातक-(विज्ञान संकाय) बी0स0ए0 माइक्रोबायोलॉजी, कम्प्यूटर साइंस	अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/3853/01-1168-2020/2020 दिनांक 15 जुलाई, 2020	दिनांक-01.07.2020 से तीन वर्ष		
		अस्थायी	2021	स्नातक-पत्रकारिता एवं जनसंचार	अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/4328/01-1196-2021/2021 दिनांक 14.09.2021	दिनांक-01.07.2021 से तीन वर्ष		60
अस्थायी	2021	स्नातक-बी0काम0	अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/4328/01-1196-2021/2021 दिनांक 14.09.2021	दिनांक-01.07.2021 से तीन वर्ष		240		
अस्थायी	2021	स्नातकोत्तर-भूगोल, गृहविज्ञान	अस्थायी-कु0स0-2 बी स0अ0/4328/01-1196-2021/2021 दिनांक 14.09.2021	दिनांक-01.07.2021 से दो वर्ष		60		



प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2014

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-दी0द0उ0गो0वि0वि0 / सम्बद्धता / 2014 / 38, दिनांक 30.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन डॉ0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, मालीबारी, ~~उत्तर प्रदेश~~ देवरिया को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित कमियों यथा- प्राचार्य अनुमोदित नहीं है तथा सत्र 2013-14 की सी.ए. रिपोर्ट वांछित है, को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता संबंधी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान / महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश-राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0 318(1) / सत्तर-6-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छात्रां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. प्रबन्धक, डॉ0 राम मनोहर लोहिया महाविद्यालय, मालीबारी, ~~उत्तर प्रदेश~~ देवरिया।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।



# Shibli National College, Azamgarh

(شہلی نیشنل کالج)

ONLINE  
ADMISSION  
2022-23

ONLINE  
COUNSELLING  
2022-23



## Courses Offered

### A. Graduation Level Courses:

i. Professional Courses (Under Self Finance): BBA & BCA

ii. Graduate Course: BA, B.Sc., B.Com. & LLB

#### Bachelor of Arts (BA)

##### Faculty of Language

- » Arabic
- » English
- » Hindi
- » Persian
- » Sanskrit
- » Urdu

##### Faculty of Humanities & Social Sciences

- » Geography
- » Geology
- » Education
- » Economics
- » Mil. Science
- » Home Science (Under Self Finance)
- » Pol. Science
- » Psychology
- » Philosophy
- » Sociology

#### Bachelor of Commerce (B.Com.)

#### Bachelor of Science (B.Sc.)

##### Maths Group

- » Mathematics
- » Physics
- » Chemistry
- » Computer Science (Under Self Finance)
- » Industrial Chemistry (Under Self Finance)
- » Statistics (Under Self Finance)

##### Bio Group

- » Botany
- » Chemistry
- » Zoology
- » Biotechnology (Under Self Finance)
- » Microbiology (Under Self Finance)
- » Geology (Under Self Finance)
- » Micro Biology (Under Self Finance)
- » Industrial Chemistry (Under Self Finance)



**B. Post Graduation Level Courses:****i. Arts Faculty: Master of Arts (MA)**

- » Arabic (Under Self Finance)
- » Economics (Under Self Finance)
- » Education (Under Self Finance)
- » English (Under Self Finance)
- » Geography
- » Hindi
- » History (Under Self Finance)
- » Philosophy (Under Self Finance)
- » Political Science (Under Self Finance)
- » Sociology
- » Urdu
- » Psychology
- » Military Science (Under Self Finance)

**ii. Science Faculty: Master of Science (M.Sc.)**

- » Botany
- » Chemistry
- » Mathematics
- » Physics
- » Zoology

**iii. Commerce Faculty: Master of Commerce (M.Com.)****iv. Law Faculty: Master of Law (LLM) (Under Self Finance)**

प्रेषक,

आर०के०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डा० राम मनोहर लोहिया अक्व विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 30 दिसम्बर, 2008

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/358/2008, दिनांक 16.10.2008 तथा पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/334/2008, दिनांक 13.10.2008 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में तथा कला संकाय के अंतर्गत संस्कृत एवं उर्दू अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2008 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-4353(1)/सत्तर-6-2008, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय, लारपुर, अम्बेडकरनगर।
4. निजी सचिव, मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

प्रबन्धक  
लारपुर

प्रबन्धक

सरदार पटेल स्मारक महाविद्यालय  
लारपुर, अम्बेडकरनगर

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।



प्रेषक,

देवी शंकर शुक्ल,  
अनु सचिव  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

लखनऊ: दिनांक: 17 अक्टूबर 2015

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक - 4271/सम्बद्धता/2015, दिनांक 16.09.2015 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा - 37(2) के अधीन श्री राज्यपाल माँ सुकली देवी डिग्री कॉलेज सहजौर, मलकौली देवरिया को स्नातक स्तर पर विज्ञान वर्ग के अन्तर्गत गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं वाणिज्य स्नातक स्तर पर वित्तीय लेखांकन सांख्यिकी, प्रबन्धन सिद्धांत, व्यवसायिक संचार, आर्थिक सिद्धांत एवं मौखिक एवं वित्तीय प्रणाली विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 20.07.2015 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-1003-16(92)/2002, दिनांक 02 जूलाई 2003 में उल्लिखित दिशा - निर्देशो एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही निश्चयानुसार की जायेगी।

भवदीय

(देवी शंकर शुक्ल)  
अनु सचिव।

संख्या-4106(1)/सत्तर-6-2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, माँ सुकली देवी डिग्री कॉलेज सहजौर, मलकौली देवरिया।
4. निजी सचिव मा० उच्च शिक्षा मंत्री जी।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(देवी शंकर शुक्ल)  
अनु सचिव।

प्रेषक,

डा० जयदेव मित्रा,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 18 जुलाई, 2011

विषय:- महाविद्यालय के संचालन हेतु संबद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-सम्बद्धता/06/108/2011 दिनांक 08.06.2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास तथा विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अंतर्गत बी०काम० विषयों/पाठ्यक्रमों में निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2011 से संबद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है।

महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्पत्तावली/अध्यादेश में वर्णित तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों और समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० जयदेव मित्रा)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-1230(1)/सत्तर-5-2011 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- 3- प्राचार्य, शहीद मंगल पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय, बलिया।
- 4- गार्ड फाइल

आज्ञा से,

ज. मित्रा

(डा० जयदेव मित्रा)  
संयुक्त सचिव

श. मंगल पाण्डेय  
प्राचार्य  
शहीद मंगल पाण्डेय



कुलसचिव  
Registrar



महामा गांधी काशी विद्यापीठ,  
वाराणसी-2  
दूरभाष- 0542 2221718  
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth  
Varanasi-2  
Tel. No.- 0542 222689

पत्रांक : कु0स0-2 B स0अ0 / 1778 / 06-458-2015 / 2015

दिनांक: 30 मई, 2015

सेवा में,

प्रबंधक,  
चन्द्रदीप सिंह स्मारक महाविद्यालय,  
राघोपुर, रसड़ा,  
बलिया।

विषय : महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव दिनांक 19.03.2015 के सन्दर्भ में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) एवं तद्विषयक विधायी अनुमाग-1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या-975/79-1-14-1(क)/19/2014 दिनांक 13 जुलाई, 2014 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37 एवं 38 में किए गये संशोधन के अनुसार महाविद्यालयों को सम्बद्धता देने का अधिकार उत्तर प्रदेश शासन के स्थान पर विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में अन्तर्गत/निहित किए जाने के फलस्वरूप सम्बद्धता प्रस्तावों के निस्तारण हेतु शासनादेश संख्या-2527/सत्तर-2-2008-2 (166) 2002 दिनांक 10 जून, 2008 के अधीन गठित सम्बद्धता समिति की बैठक दिनांक 28.05.2015 की संस्तुति एवं मा० कुलपति जी के आदेशानुसार कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में चन्द्रदीप सिंह स्मारक महाविद्यालय, राघोपुर, रसड़ा, बलिया को स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं शणित विषयों में प्रपत्र बी में इंगित कमियों यथा प्राध्याय एवं प्रवक्ता का अनुमोदन प्रक्रियाधीन होने, प्रबन्ध समिति का अनुमोदन होने, दो व्याख्यान कक्ष, अध्यापक कक्ष, परीक्षा नियंत्रण कक्ष का प्लास्टर होना शेष होने तथा चहारदीवारी अर्धनिर्मित होने को दृष्टिगत रखते हुए अस्थायी सम्बद्धता दिनांक 01.07.2015 से तीन वर्ष हेतु अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

1. महाविद्यालय एक माह के अन्दर प्रबन्ध समिति का अनुमोदन, दो व्याख्यान कक्ष, अध्यापक कक्ष, परीक्षा नियंत्रण कक्ष का प्लास्टर तथा चहारदीवारी का निर्माण पूर्ण करा लने तथा प्रवक्ताओं का चयन कराकर विश्वविद्यालय से अनुमोदनोपरान्त कार्यभार ग्रहण कराकर सीधे बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने का प्रमाण प्रस्तुत करेगा।
2. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा 37 (2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
3. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को 15 अगस्त तक इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16 (92)/ 2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका सं०-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2 (650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

....2



7. महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के साथ संलग्न किये गये अमिलेख भविष्य में इतर पाये जाने की स्थिति में सम्बंधित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कार्यपरिषद को तत्काल सूचित किया जायेगा जिसके लिए महाविद्यालय प्रबंधन पूर्णतः उत्तरदायी होगा।
8. सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा पूर्ण नहीं किये जाने पर सम्बद्धता वापस लेने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए प्रकरण कार्यपरिषद को संदर्भित किया जायेगा।
9. उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित 30प्र0 राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा-37(6), 37 (7) तथा 37 (8) में प्राविधानित अधोलिखित प्राविधान भी प्रभावी होंगे:-

37(6) :- कार्य परिषद प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद को दी जायेगी।

37(7) :- कार्य परिषद इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्रवाई करने का निर्देश कर सकेगी जो उसे उस अवधि के भीतर जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।

37(8) :- कार्य परिषद द्वारा किसी ऐसे महाविद्यालय की सम्बद्धता का विशेषाधिकार जो उपधारा (7) के अधीन कार्य परिषद के किसी निदेश का अनुपालन करने में अथवा सम्बद्धता की शर्तों को पूरा करने में असफल हो महाविद्यालय के प्रबंधन से उस विषय पर रिपोर्ट लेने के बाद परिणियों के उपबन्धों के अनुसार वापस लिया जा सकेगा या कम किया जा सकेगा।

उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।

10. महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा कमियों को पूर्ण करने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का पचास रूपये के स्टैम्प पेपर पर शपथ पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि सम्बद्धता आदेश में प्रदर्शित कमियों को एक माह में पूर्ण न करने एवं भविष्य में मानकों के विपरीत महाविद्यालय का संचालन पाये जाने व अमिलेखों की अप्रामाणिकता प्रकाश में आने पर यह अनुमति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही :-

- 1- मा० कुलपति जी-सूचनार्थ।
- 2- विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, वाराणसी।
- 4- उपकुलसचिव (समिति) को इस आशय से कि कृपया कार्यपरिषद की आगामी बैठक में प्रस्तुत कर स्वीकृति प्राप्त करें।
- 5- उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य।
- 6- सम्बंधित पत्रावली।

कुलसचिव



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक : 19/12/2015  
संख्या: एफिल/वी०सी०/2375

सेवा में,

राचिव/प्राचार्य,  
श्री रतिराम महाविद्यालय  
संकेत बरसाना, मथुरा।

विषय श्री रतिराम महाविद्यालय संकेत बरसाना मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत  
वी०एस०सी० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब०-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनोंक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों एवं कार्य परिषद के निर्णय दिनोंक 15.1.2015 के क्रम में श्री रतिराम महाविद्यालय संकेत बरसाना मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत में वी०एस०सी० वायोमैथ पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है—

शिक्षक अनुमोदित नहीं/प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनोंक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी—

1. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनोंक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनोंक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।

2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कगियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है ।

4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है । यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख /सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी , तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कॉलेज प्रबन्धतंत्र का होगा ।

5. यह सम्बद्धता महाविद्यालय के सचिव द्वारा दिये गये शपथपत्र के आधार पर जारी की जा रही है । यदि शपथ पत्र के कम में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा ।

भवदीय

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा , उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3. वित्त अधिकारी ,डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा एवं अलीगढ़ मंडल ।
5. सचिव/प्रबन्धक श्री रतिराम महाविद्यालय संकेत बरसाना मथुरा ।
6. ।
7. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु ।
8. वेब साईट प्रगारी डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
9. उप/सहायक कुलसचिव/ सम्बद्धन /परीक्षा ।
10. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग ।
11. अधीक्षक कुलपति सचिवालय

  
कुलसचिव



Copy of letter No.322/GS,dated March 6,1967,  
from the Secretary to the Chancellor,Gorakhpur University,  
addressed to the Registrar,Gorakhpur University.

...

With reference to your letters No.3020/I(17)  
a/Aff1/1966,dated November 10/19,1966 .and No.3634/I  
17(a)Aff1/1966-67,dated January 10/12,1967, I am  
directed to say that in view of the position stated  
therein, the Chancellor has been pleased,under  
Section 5(2) of the Gorakhpur University Act,to make  
permanent the affiliation sanctioned to K.S.Saket  
Mahavidylya Faizabad,for the B.Sc.in Physics,  
Chemistry and Mathematics,with effect from the date  
of issue of this letter on the fulfilment of the  
conditions of affiliation as laid down by the  
University.

....

University of Gorakhpur.

No.43671

Dated March 14,1967.

Copy forwarded to the Principal,K.S.Saket  
Mahavidylya,Faizabad,for information and necessary  
action.

  
( K. B. Lal )  
Registrar

14/3/67



गोरखपुर विश्वविद्यालय



No. 120.30  
12/4/72

Copy of letter No. 1192/U.S. dated March 20, 1972 from Secretary to the Chancellor, Governor's Secretariate, U.P. Lucknow addressed to the Registrar, University of Gorakhpur, Gorakhpur.

.....

I am directed to refer to your letter No. 15751/Affl., dated February 2, 1972, and to say that the Chancellor has been pleased, under section 5(2) of the Gorakhpur University Act, to accord sanction to the proposed to grant permanent affiliation to K.S.Saket Mahavidyalaya, Faizabad, for the B.Sc. in Botany and Zoology on fulfilment of the conditions of affiliation laid down by the University for the purpose.


.....

UNIVERSITY OF GORAKHPUR

No. 391 /Affl.(U.G.)/71-72; dated April 6, 1972.

Copy forwarded to the Principal, K.S. Saket Mahavidyalaya Faizabad for information and necessary action.

  
(R.P. Ambast)  
Asstt. Registrar (Affln.)

  
प्राचार्य  
K.S. SAKET स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
फ़ाइज़ाबाद, उ.प्र.



डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक : 19/2/2015  
संख्या: एफिल/वी०सी०/2370

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,  
डा०वीरेन्द्र सिंह महाविद्यालय,  
गिरहची रोड मारहरा  
एटा ।

विषय डा० वीरेन्द्र सिंह महाविद्यालय गिरहची रोड मारहरा एटा को कला एवं विज्ञान संकायन्तर्गत वी०ए० वी०एस०सी० पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब०-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों एवं कार्य परिषद के निर्णय दिनांक 15.1.2015 के क्रम में डा०वीरेन्द्र सिंह महाविद्यालय गिरहची रोड मारहरा एटा कला(हिन्दी अंग्रेजी भूगोल समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र शिक्षाशास्त्र व गृहविज्ञान) एवं विज्ञान संकायन्तर्गत को वी०एस०सी० बायोमैथ पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

शिक्षक अनुमोदित नहीं/प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी-

1. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा । इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा ।

2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों /उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।

S. Singh  
प्राचार्य  
डा० वीरेन्द्र सिंह महाविद्यालय  
मारहरा (एटा)

K. K.  
प्रबन्धक/सचिव  
डा० वीरेन्द्र सिंह महाविद्यालय  
मारहरा (एटा)

3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति करेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है ।

4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है । यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख /सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी , तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कॉलेज प्रबन्धतंत्र का होगा ।

5. यह सम्बद्धता महाविद्यालय के सचिव द्वारा दिये गये शपथपत्र के आधार पर जारी की जा रही है । यदि शपथ पत्र के कम में कोई विसंगति पाई जाती है तो उसका उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा ।


भवदीय


  
कुलसचिव  


प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा , उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3. वित्त अधिकारी ,डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा एवं अलीगढ मंडल ।
5. सचिव/प्रबन्धक शारबुड महाविद्यालय दिगनेर रोड शमशाबाद आगरा ।
6. ।
7. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शन हेतु ।
8. वेब साईट प्रभारी डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा को वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
9. उप/सहायक कुलसचिव/ सम्बद्धन /परीक्षा ।
10. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग ।
11. अधीक्षक कुलपति सचिवालय

कुलसचिव

  
डा० वीरेन्द्र सिंह  
मिरहची रोड, मारहरा (एटा)

  
प्रबन्धक सचिव  
डा० वीरेन्द्र सिंह महाविद्यालय  
मिरहची रोड, मारहरा (एटा)





डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक : 01/10/2014  
संख्या: एफिल/वी०सी०/2105

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य  
बोहरे पातीराम महाविद्यालय  
मौजा चिरहौली  
अगरपुर अरेला बोहरे पातीराम महाविद्यालय मौजा चिरहौली अगरपुर अरेला आगरा  
आगरा ।

विषय:- बोहरे पातीराम महाविद्यालय मौजा चिरहौली अगरपुर अरेला आगरा को स्नातक स्तर पर कला  
एवं विज्ञान संकायान्तर्गत पाठ्यक्रम में सम्बद्धता के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में ज्ञान के पत्र संख्या सम्म०-1148/सत्तर-2-2014-16259/2013  
दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय  
संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत बोहरे पातीराम महाविद्यालय मौजा चिरहौली अगरपुर अरेला  
आगरा को कला संकायान्तर्गत बी०ए० (हिन्दी अंग्रेजी शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र इतिहास समाजशास्त्र राजनीतिशास्त्र) एवं  
बी०एस०सी पाठ्यक्रम विज्ञान संकाय बी०एस०सी बायोमैथ पाठ्यक्रम में स्वयंसेवक पॉसिबिलिटी योजनान्तर्गत उपर्युक्त  
शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत हैं, सम्बद्धता  
प्रदान की जाती है-

प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं, प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रगामी होगी-

1. महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की  
धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी  
निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित  
रहेगा । इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.  
2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश  
संख्या 522/सत्तर-2-2013-2650/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक  
सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा ।

S-1678  
(12)

2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों /उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।
3. संस्थान/महाविद्यालय स्वतंत्र सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कथियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस अद्यय का प्रमाणपत्र प्रतिक्रिया प्रेषित करेगा कि संस्थान /महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है ।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है । यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख /सूचना कूटस्थित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी , तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कॉलेज प्रबन्धतंत्र का होगा ।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा , उत्तर प्रदेश शासन ,लखनऊ ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3. वित्त अधिकारी ,डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा एवं अलीगढ़ मंडल ।
5. सचिव/प्रबन्धक, बोलरे पातीराम महाविद्यालय मौजा विरहीली अगरेपुर अरेला आगरा
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा पत्तिद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रेषित हेतु ।
7. वेब साइट प्रभारी डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
8. उप/महायक कुलसचिव/ सम्बन्धन /परीक्षा ।
9. अधीक्षक सम्बन्धन विभाग ।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय

कुलसचिव





# डा० राम मनोहर लोहिया अक्वध विश्वविद्यालय, फैजाबाद

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/2017/259

दिनांक 29-06-2017

## सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 28-06-2017 के अनुपालन में राम मिलन मौर्य करमा देवी महिला महाविद्यालय, नल्हपुर, लोघना, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान सहाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में बी०एस-सी० पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2017-18 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय द्वारा स्नातक स्तर के याचित पाठ्यक्रम हेतु मानकानुसार शिक्षक अनुमोदन तथा बी०एस-सी० की प्रयोगशालाओं का सुदृढीकरण प्रवेश/कक्षा संचालन के पूर्व कर लिया जायेगा अन्यथा की स्थिति में सत्र 2017-18 में प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। महाविद्यालय द्वारा उक्त आशय का शपथ पत्र एक सप्ताह के अन्दर कुलसचिव को सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता रवत समाप्त हो जायेगी।
6. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-18(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-8, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, राम मिलन मौर्य करमा देवी महिला महाविद्यालय, नल्हपुर, लोघना, अम्बेडकरनगर।
4. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अक्वध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
5. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं कालेज लाग-इ-1 पर अपलोड कराये जाने हेतु।

(संजय कुमार)  
कुलसचिव





पत्रांक : सम्बद्धता/2815/2008

दिनांक : 24/11/2008

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य/निदेशक,  
श्रीमती रामदुलारी कॉलेज  
ओल, मथुरा

महोदय,

अनुसचिव उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 5189/सत्तर-2/2007-2(66)/2003 लखनऊ दिनांक 26-12-2007 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2007 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन आपके संस्थान को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी०एस०सी० (बायो-मेड) पाठ्यक्रम में भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित एवं रसायन विज्ञान विषयों में दिनांक 1-7-2007 से आगामी तीन वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित चार शर्तों के अधीन एक-एक सेक्शन की प्रवेश क्षमता के साथ सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 26-12-2007 में उल्लिखित निम्नलिखित शर्तों को निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लेगा।

- 1- संस्था द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- 2- संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र "बी" में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।





S-1636


(14)

(2)

- 3- संस्था शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
- 4- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के पत्र में इंगित कर्मियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।  
भवदीय

  
(सतीश चन्द्र शर्मा)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित :-

- 1- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा ।
- 2- निजी सचिव कुलपति ।
- 3- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल,  
जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा ।

(सतीश चन्द्र शर्मा)  
कुलसचिव



# Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya

## डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

### COURSE WISE DETAILS

COLLEGE NAME : SHRI LAL BAHADUR SHASTRI DEGREE COLLEGE GONDA

S.NO	COURSE NAME	SUBJECT	REMARKS
1	BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION (B.B.A.)	B.B.A. I ST SEMESTER	
2	BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (B.C.A.)	B.C.A. I ST SEMESTER	
3	BACHELOR OF EDUCATION (B. ED.)	FACULTY OF EDUCATION	
4	BACHELOR OF ARTS (B.A.)	DEFENCE & STRATEGIC STUDIES, ECONOMICS, EDUCATION, ENGLISH, GEOGRAPHY, HINDI, HOME SCIENCE, PHYSICAL EDUCATION, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, SANSKRIT, SOCIOLOGY	
5	BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)	YOGA AND FITNESS	
6	BACHELOR OF SCIENCE(AGRICULTURE) B.SC.AG SEMESTER	B.SC AGRICULTURE 1ST SEMESTER	
7	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	HINDI	
8	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	ENGLISH	
9	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	EDUCATION	
10	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	ECONOMICS	
11	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	POLITICAL SCIENCE	
12	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	SOCIOLOGY	
13	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	MEDIEVAL & MODERN HISTORY	
14	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	GEOGRAPHY	
15	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	PSYCHOLOGY	
16	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	DEFENCE AND STRATEGIC STUDIES	
17	MASTER OF COMMERCE (M.COM.)	FACULTY OF COMMERCE	
18	MASTER OF SCIENCE(PREVIOUS) M.SC. PREV	PHYSICS	
19	MASTER OF SCIENCE(PREVIOUS) M.SC. PREV	CHEMISTRY	
20	MASTER OF SCIENCE(PREVIOUS) M.SC. PREV	ZOOLOGY	
21	MASTER OF SCIENCE(PREVIOUS) M.SC. PREV	BOTANY	
22	MASTER OF SCIENCE(PREVIOUS) M.SC. PREV	MATHEMATICS	

**Disclaimer :** The above statement of Course's, displayed is just for information purpose and shall not be legally equivalent to affiliation records. The statement of Course's in the university affiliation Records Shall be the final . In case of any discrepancy, college should ensure Course's from affiliation records for admissions.

Excess admission beyond affiliation records will be illegal.

© Copyright, Avadh University, Faizabad India



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 2550/जी.एस.  
दिनांक: 9/12/2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

महोदय,

आपके पत्रांक: 9285-86/सम्बद्धता/2006 दिनांक 30-06-2006 एवं पत्रांक: 9665/सम्बद्धता/2006 दिनांक 28-9-2006 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-9673 की धारा-30(2) के "परन्तुक" के अधीन श्री राम सूर्य मणि महाविद्यालय, महुआ खुर्द, सिद्धार्थ नगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान एवं जन्तु विज्ञान विषयों में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 09-09-2006 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- 1- महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र "बी" में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- 2- महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य की नियमानुसार नियुक्ति कर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- 3- महाविद्यालय द्वारा नियमित शिक्षक/शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति कर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- 4- महाविद्यालय द्वारा प्रबन्ध समिति का विश्वविद्यालय से अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
- 5- महाविद्यालय उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-2549/सत्तर-2-2003-96 (62)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- 6- यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेशों में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-9673 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियों आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा।

भवदीय,

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- 3- प्रबन्धक/प्राचार्य, श्री राम सूर्य मणि महाविद्यालय, महुआ खुर्द, सिद्धार्थ नगर।

(हरी चरन प्रकाश)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव



प्रेषक,

आर०के०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर, 2009

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-3417/सम्बद्धता/2009, दिनांक 30.07.2009 एवं पत्रांक-3446/सम्बद्धता/2009, दिनांक 27.08.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राम सूर्यमणि महाविद्यालय, महुआ खुर्द, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अंतर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृहविज्ञान एवं मध्यकालीन इतिहास विषयों में तथा विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-3922(1)/सत्तर-6-2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. प्रबन्धक, श्री राम सूर्यमणि महाविद्यालय, महुआ खुर्द, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।



फोन : कार्यालय -- 0551 -- 2340363  
आवास -- 0551 -- 2201507

प्रेषक,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,  
गोरखपुर - 273009

इस कार्यालय को भेजे जाने वाले सभी पत्रों में पूर्व पत्र व्यवहार की संख्या, दिनांक तथा उद्धृत विभाग का नाम दिया

पत्रांक: 2149 / सम्बद्धता / 2009

दिनांक: 15 / 12 / 2009

सेवा में,

प्राचार्य,  
श्री रामसूर्य मणि महाविद्यालय,  
महुआ खुर्द, डुमरिया गंज,  
सिद्धार्थनगर।

**विषय:** स्नातक स्तर पर कला संकाय तथा विज्ञान संकाय के विषयों में कक्षा संचालन की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या: 3922/सत्तर-6-2009 -2(456)/2009 दिनांक: 06, नवम्बर, 2009 द्वारा दिनांक: 01.07.2009 से स्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत कुछ शर्तों के अधीन स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, गृह विज्ञान, एवं मध्यम इतिहास, तथा स्नातक विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में आपके महाविद्यालय को सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी है। उक्त स्वीकृति के परिप्रेक्ष्य में कुलपति जी ने आपके महाविद्यालय को उक्त पत्र में उल्लिखित शर्त/शर्तों को लगातार पूर्ण करने की शर्त पर कक्षा संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान कर दी है महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा। इसी क्रम में आपको यह भी अवगत कराना है कि यदि आप उपरोक्त शर्त/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो महाविद्यालय को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

*Dr. Anu*  
कुलसचिव  
15.12.09

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 अधिष्ठाता कला/विज्ञान संकाय, दी० द० उ० गो० वि० गोरखपुर।
- 2 परीक्षा नियंत्रक, दी० द० उ० गो० वि० गोरखपुर।
- 3 सहायक कुलसचिव, परीक्षा सामान्य, दी० द० उ० गो० वि० गोरखपुर।
- 4 प्रबन्धक, सम्बन्धित महाविद्यालय।

कुलसचिव

## Programs


<https://rrspsc.com/> - [Programs \(https://rrspsc.com/programs/\)](https://rrspsc.com/programs/)

### B. A.

- |                   |              |             |                     |
|-------------------|--------------|-------------|---------------------|
| Ancient History ✓ | English ✓    | Education ✓ | Economics ✓         |
| Geography ✓       | Psychology ✓ | Hindi ✓     | Political Science ✓ |
| Sanskrit ✓        | Sociology ✓  | Urdu ✓      | Home Science        |



[CONTACT US](#)



### B. Sc.

- |             |           |         |
|-------------|-----------|---------|
| Botany      | Chemistry | Physics |
| Mathematics | Zoology   |         |

[CONTACT US](#)

### M. A.

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| Sociology | Ancient History |
|-----------|-----------------|







HOME (https://rrspgc.com/) COLLEGE (https://rrspgc.com/about-college/) FACULTIES/STAFFS (https://rrspgc.com/faculties-staffs/) ADMINISTRATION

### B.Ed.

CONTACT US (https://rrspgc.com/contact/)

All Subjects

CONTACT US



#### ADDRESS

Bansi, Siddharthnagar, Uttar Pradesh 272153

Your full name



#### PHONE

621-254-2147 - 564-852-3574

Your email address



#### EMAIL ADDRESS

rsdcbansi68@gmail.com / info@rrspgc.com

Your Phone Number

Write your message here

CONTACT US

#### ABOUT COLLEGE

हिन्दुस्तान के जब-जबसे के उषा काल में  
स्वामिना पण्डित मदन मोहन मालवीय  
की (Read More) (https://rrspgc.com/history-  
of-ratan-sen-degree-college/)

#### ADDRESS

Bansi, Siddharthnagar,  
Uttar Pradesh 272153

#### MAIL ID

rsdcbansi68@gmail.com  
(mailto:rsdcbansi68@gmail.com)

#### PHONE NUMBER

+919793263431  
(https://rrspgc.com/contact/)

Copy of the letter No. E-2197/G.S. dated May 13, 1982 from  
Sri R.K. Bihari, Under Secretary to the Governor, U.P.  
addressed to the Registrar, Gorakhpur University, Gorakhpur.  
.....

Sir,

I am directed to refer to your letter No. 7561-68, dated  
September 29, 1979 and to say that under Section 37(2) of the  
U.P. State Universities Act, 1973, the Chancellor has been pleased  
to extend the period of provisional affiliation granted to  
Digvijai Nath Degree College, Gorakhpur for the B.Sc. in  
Chemistry, Botany and Zoology upto June 30, 1981 firstly,  
and thereafter to grant permanent affiliation to the College  
for the B.Sc. in the aforesaid subjects.

.....  
UNIVERSITY OF GORAKHPUR  
GORAKHPUR

No. 874/Affiliation. dated, May 26.5.1982.  
Copy forwarded to the Principal, Digvijai Nath Degree  
College, Gorakhpur for information.

Registrar

True Copy

Attested

High

Bm

17.6.82

विश्व कालेज

गोरखपुर

Attested

ASingh

ASingh  
प्राचार्य

विश्वकर्मनाथ पी० जी० कालेज  
गोरखपुर

Attested  
ASingh

प्राचार्य

विश्वकर्मनाथ पी० जी० कालेज  
गोरखपुर

ASingh





# डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

पत्रांक: लो०अ०वि०/सम्ब०/2018/10636 (A)

दिनांक : 30.5.2018

## सम्बद्धता आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथासंशोधित) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 30-05-2018 के अनुपालन में देश दीपक आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तेन्दुआमाफी, बीकापुर, फैजाबाद में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तुविज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों को स्ववित्तपोषित योनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2018-19 से सम्बद्धता प्रदान की जाती है।

1. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-15(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. संस्था/महाविद्यालय कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रति वर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता की शर्तें महाविद्यालय निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
4. संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
5. महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, आधार-कार्ड, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराने के साथ अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
6. प्रत्येक वर्ष AISHE के PORTAL पर DCF-II से सम्बन्धित सूचनाएं अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. मा० उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
8. संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
9. संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011, दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी।
10. संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

डॉ० (विनोद कुमार सिंह)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रबन्धक, देश दीपक आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय, तेन्दुआमाफी, बीकापुर, फैजाबाद।
2. परीक्षा नियन्त्रक, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद।
3. निजी सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
4. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव

विनोद कुमार सिंह  
प्रबन्धक  
देश दीपक आदर्श स्नातकोत्तर महाविद्यालय





# SHIVHARSH KISAN POST GRADUATE COLLEGE BASTI

Civil Lines, Basti, Uttar Pradesh 272001

Menu

Home

About

Administration

Academic

Admission

Quality Assurance

Facilities

Contact Us

## Various Events in College

B.Sc./B.A. | सेमेस्टर सब: 2022-23,  
वोकेशनल कोर्स- योगा विषय के अंतर्गत

प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए टॉपिक

1. योग की परिभाषा एवं उद्देश्य

2. सूर्य नमस्कार (मंत्र सहित)

3. अष्टांगयोग का महत्त्व

उपर्युक्त दिए गए शीर्षको में से दो पर

अधिकतम 500 शब्द लिखकर मुख्य परीक्षा

के दिन अवश्य जमा करें।

## Notice / News / Circulars

विश्वविद्यालयीय परीक्षा -2022 में  
अभी तक छूटी हुयी प्रयोगात्मक परीक्षा  
हेतु आवेदन की सूचना के सम्बन्ध में।

## Email Login



## Courses Offered

Sr. No.	Name of Course	Subjects Description
1.	B.A.	Subject-1: Hindi, English, Sanskrit ( <i>Select any one</i> )
		Subject-2: Geography, Defence & Strategic Studies ( <i>Select any one</i> )
		Subject-3: Economics, Sociology, History, Mathematics ( <i>Select any one</i> )
		Subject Combination
2.	B.Sc.	Mathematics Group:
		Mathematics, Physics, Chemistry
		Mathematics, Physics, Computer Application*
		Mathematics, Physics, Defence & Strategic Studies
		Subject Combination
		Biology Group:
3.	M.A.	Botany, Zoology, Chemistry
		Botany, Zoology, Computer Application*
		Botany, Zoology, Defence & Strategic Studies
		Economics
		English*
		Geography
		Hindi
		Sociology*
		Mathematics
		Botany*
		Zoology
11.	Ph.D.	Economics, Geography, Hindi, Mathematics, Botany, Zoology

\*Under Self-Finance Scheme

Note: For Ph.D. Admission, all decisions related to allotment of seats/students, subjects, research topics, allotment of Supervisor and other formalities, are done by Siddharth University Kapilvastu, Siddharth Nagar, through rules and regulations accordance with "सिद्धार्थ विश्वविद्यालय शोध अध्यादेश".

### Inside Links

- » Photo Gallery
- » RTI
- » Feedback
- » E Resource : Our College
- » College Facebook Page
- » Vocational Course's WhatsApp Groups

### Study

- » SWAYAM online courses
- » e-Content courseware in UG subjects
- » e-PG Pathshala
- » e-Pathshala Study Materials (SU)
- » SWAYAMPRAKHA Channel

### Research

- » Shodhganga
- » e-Shodhsindhu
- » National Digital Library
- » Vidwan

### Other Important Links

- » Siddharth University, Kapilvastu
- » DDU Gorakhpur University
- » UPRTOU
- » University Grants Commission
- » NAAC
- » U.P. Higher Education Department
- » U.P. Higher Education Service Commission
- » MHRD
- » Employment News



सुबोध कुमार श्रीवास्तव  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

मुख्य सचिव,  
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,  
जिजाबाद।

उपरोक्त अनुभाग-6

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

मुख्यंक दिनांक 28 जुलाई 2012

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक-ल०040वि०/संख०/2012/769 दिनांक 04.06.2012 के सदर में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित संशोधित विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के परचुके के अधीन स्व० वीरेन्द्र प्रताप सिंह स्मारक जनता महाविद्यालय, कुन्दा भैरोपुर, सुलतानपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान सहाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2012 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कामियों को पूरा कर लेगा अन्यथा अगले आर्थिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उनपर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदत्त की गई सम्बद्धता प्रपत्र लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

उपरोक्त शर्तों को समस्त कामियों आगामी एक माह में पूर्ण कर जमा।

भवदीय

(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।

संख्या-संख० 138(1)/सत्तर-6-2012, तदुदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद, छटा तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्धक, स्व० वीरेन्द्र प्रताप सिंह स्मारक जनता महाविद्यालय, कुन्दा भैरोपुर, सुलतानपुर।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से  
2  
(सुबोध कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।





**डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा**  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक: 01-10-14  
संख्या:एफिल/बी०सी०/१२२१७

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य  
माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवास, सादाबाद, हाथरस

विषय:- माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवास, सादाबाद, हाथरस को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब०-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के तन्वर्ष में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवास, सादाबाद, हाथरस को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में स्थिति: पेशित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (एफिल की) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदित नहीं, प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

- (1) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा भूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/निर्गमित के सबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित शर्तित कमियों की पूर्ति कर लेना एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

  
सचिव/अधीक्षक

माया राजेन्द्र महाविद्यालय  
नीतिनिवास (हाथरस) ए.ए.



(4) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जावेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवतीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीलि निवास, सादाबाद, हाथरस।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलसचिव/सम्बद्धन विभाग।

कुलसचिव



# डा० भीमराव आम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या: सम्ब०/7411/2018  
दिनांक: 28.08.2018

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवाय, तसीगा, हाथरस

विषय:- माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवाय, तसीगा, हाथरस को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक विश्वविद्यालय के पत्र संख्या-एफिल/डी०सी०/2218 दिनांक 01.10.2014 के द्वारा माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवाय, तसीगा, हाथरस को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से दिनांक 30.06.2017 तक आगामी तीन वर्ष एवं पत्र संख्या-4115(284) दिनांक 28.09.2017 के द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति/विस्तारण आगामी एक वर्ष के लिये सशर्त सम्बद्धता प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवाय, तसीगा, हाथरस को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता विस्तारण बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में (सत्र 2018-19) दिनांक 01.07.2018 से 30.06.2019 तक निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रमाणी होगी :-

1. विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल विश्वविद्यालय के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित संलग्न नहीं हैं।

- (1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कमियों के साथ-साथ दिनांक 30.06.2019 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हों।
- (2) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्रावधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से अधिकतम तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा तथा मानक पूर्ण कर सम्बद्धता विभाग में पत्राचारत जमा कराये अन्वथा अगले शैक्षणिक सत्र (2019-20) में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा जबतक सम्बद्धता सम्बन्धी पत्र विश्वविद्यालय से प्राप्त न कर लिया जाये। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (3) महाविद्यालय द्वारा नियुक्त शिक्षकों के संविदा पत्र की तीन प्रति निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर एक प्रति विश्वविद्यालय के सम्बद्धता विभाग में जमा करना अनिवार्य होगा।
- (4) महाविद्यालय द्वारा परीक्षाओं की सुविधा बनाये रखने हेतु परिसर के परीक्षा कक्षा तथा परीक्षा नियन्त्रक कक्ष में सी०सी०टी०वी० कैमरे लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही सी०सी०टी०वी० कैमरे लगने का प्रमाण विश्वविद्यालय में प्रेषित किया जाये।
- (5) महाविद्यालय द्वारा निरीक्षण आख्या एवं पत्र में इंगित कमियों तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्वथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (6) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (7) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेना एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (8) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशानिर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (9) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (10) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटस्थित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (11) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (12) संस्था परिसर को रैंगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगी।
- (13) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ होयर एंजुकेशन(ए०आई०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी०सी०एफ० --11 पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

(केलाश नाथ सिंह)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, माया राजेन्द्र महाविद्यालय, नीति निवाय, तसीगा, हाथरस।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद् इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा० बी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

(केलाश नाथ सिंह)  
कुलसचिव

(सचिव/मंत्री)

माया राजेन्द्र महाविद्यालय





डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/ /2016

दिनांक:.....

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

जे0पी0जी0डी0 डिग्री कालेज, चन्दपा, हाथरस।

विषय:- जे0पी0जी0डी0 डिग्री कालेज, चन्दपा, हाथरस को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या सम्ब0-440/सत्तर-2-2010-2(440)/2010 दिनांक 30 अगस्त, 2010 एवं सम्ब0-2196/सत्तर-2-2011-2(502)/2010 दिनांक 07 जुलाई, 2011 के द्वारा जे0पी0जी0डी0 डिग्री कालेज, चन्दपा, हाथरस को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2010 से आगामी तीन वर्ष हेतु एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में दिनांक 01.07.2011 से आगामी तीन वर्ष हेतु स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार जे0पी0जी0डी0 डिग्री कालेज, चन्दपा, हाथरस को कला एवं विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत हैं, सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

शिक्षकों का वेतन भुगतान माहवार बैंक द्वारा प्रमाणित नहीं है, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रमाण संलग्न नहीं है।

यह सम्बद्धता दिनांक 01.07.2013 से 30.06.2016 तक कार्यान्वयन की शर्तों के साथ (सत्र 2016-17) दिनांक 01.07.2016 से बी0ए0(हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र) एवं बी0एससी0(बायो/मैथ) पाठ्यक्रम हेतु एक वर्ष के लिए सम्बद्धता विस्तारण निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी:-

- (1) महाविद्यालय यह सुनिश्चित कर ले कि उक्त कमियों के साथ-साथ दिनांक 30.06.2017 तक सम्बद्धता सम्बन्धी सभी मानक पूर्ण हो।
- (2) महाविद्यालय द्वारा 30प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविष्ट मानकों के अन्तर्गत सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से तीन माह की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शिक्षक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (3) महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित तथा शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया तीन माह में पूर्ण कर ली जाये अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जायेगी व अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (4) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों को पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (5) संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिक्रिया प्रेषित करेगा। संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (6) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (7) महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2011-16(409)/2010 दिनांक 23 अगस्त, 2011 का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (8) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बद्धता अभिलेख/सूचना कूटस्थित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (9) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता में अधिक प्रवेश कराना नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (10) संस्था परिसर को रूँकिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।
- (11) महाविद्यालय आल इण्डिया सर्वे ऑफ हॉयर ऐजुकेशन (ए0आई0एस0एच0ई0) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी0सी0एफ0 - II पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, जे0पी0जी0डी0 डिग्री कालेज, चन्दपा, हाथरस।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद् इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. (अधीनस्थ सम्बद्धन विभाग)।



# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/ /13

दिनांक:.....

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक  
श्री डालचन्द्र सिंह महाविद्यालय  
नरवै, राया  
मथुरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या:सम्ब0-593/सत्तर-2-2012-2(593)/2012 दिनांक 12 नवम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम/विषयों में दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2012 तक कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 01.07.2012 से उक्त पत्र में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 2012 में उल्लिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करता रहेगा।

(1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

(2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

20/4/13

20/4/13

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
- 2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 3- निजी सचिव कुलपति।
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
- 5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव (सम्बद्धन)

प्राचार्य

प्राचार्य



20

Copy of the letter No. E-3035/G. S(7-G. S./74-XI)G. S., dated June 19, 1984 from Secretary to the Governor/Chancellor, Uttar Pradesh, Lucknow, addressed to the Registrar, Avadh University, Faizabad.

I am directed to refer to your letter No. AV/Affl/787/83-84, dated February 2, 1984 regarding grant of permanent affiliation to K.N.I. Sultanpur, for the M.A. in Hindi, English, Economics, M. Se. in Zoology and Chemistry, M. Com., and M. Ed., and to say that the position of results in the subject of M.A. in Hindi, M. Com., M. Ed. and M. Sc. in Zoology is satisfactory but the position of results in the remaining subjects is not satisfactory.

In view of above, the Chancellor has under section 37(2) of the U.P. State Universities Act, 1973, been pleased to extend the period of provisional affiliation granted to Kamla Nehru Institute of Science and Technology, Sultanpur, for the M.A. in Hindi, English, Economics, M. Sc. in Zoology and Chemistry, M. Com. and for the M. Ed. upto June 30, 1984 and to grant permanent affiliation to the College for the M.A. in Hindi, M. Sc. in Zoology, M. Com. and for the M. Ed. only with effect from June 1, 1984.

The matter relating to grant of permanent affiliation will be considered when the position of results is known.

\*\*\*\*\*

AVADH UNIVERSITY, FAIZABAD.

No. A.U./Affln./ 1648/1984,

Dated : June 26, 1984

Copyforwarded to the Principal, Kamla Nehru Institute of Science & Technology, Sultanpur for information and necessary action.

*(Signature)*  
( A.K. Singh )  
Asstt. Registrar  
for Registrar.

*O.S.  
To keep on  
file & seek  
initials  
approving  
the date of  
permanent affl.  
14/7/84*

संख्या-ई.स./जी.एस.  
दिनांक 21/9/2003

27

श्री राजपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,  
कुलाधिपति,  
श्री राम मनोहर लोहिया अग्र्य विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

महोदय,  
आपके पत्र संख्या- लो०अ०वि०/सम्बद्धन/५११,५१२/२००३, दिनांक २३.६.२००३ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, १९७३ की धारा ३७(२) के अधीन कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत उर्दू, शिक्षाशास्त्र, स्नातक स्तर पर ही विज्ञान संकाय के अन्तर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स विषय एवं परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत राजनीतिशास्त्र एवं परास्नातक स्तर पर ही विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान विषय में स्वीकृत पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००३ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२-२००३-१८ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रधान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

- प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
  २. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
  ३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
  ४. प्रबन्धक/प्राचार्य, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

O.S.  
M.A. pl.  
109103



याह पत्र 22/200805 अ 3204

18

राज्यापाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश  
लखनऊ-226002

4087  
संख्या ई.स. / सी.एस.  
दिनांक 24/6 2008

श्री अमिल सिंह  
कमला नेहरू पर भवन  
03.07.08

प्रेषक,  
श्री राज्यापाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश।  
सेवा में,  
कुलाधिपति,  
या सग मनीटर जोड़िया कला विद्यापीठ,  
मैदान।

महोदय,  
आपके पत्र संख्या सी०एम०/रा०क०/२२७७, दिनांक ५.४.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे  
गठ कहने का निदेश हुआ है कि महापठिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय  
अधिनियम, १९७३ की धारा २७(२) के सुसंगत प्रावधानों के अधीन कमला नेहरू भौतिकी एवं सामाजिक  
विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर को स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान संकाय में वनस्पति विज्ञान एवं गणित तथा  
स्नातकोत्तर स्तर पर ही कला संकाय में मध्यकालीन इतिहास एवं भूगोल विषयों में स्वचित्त पोषित  
गोपनात्मक विज्ञानोपेत शरी के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बन्धता की स्वीकृत कार्य प्रदान  
कर दी है :-

१. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२- २००३-१६  
(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं सगय-समय पर इस  
विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी। विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि  
उक्त महाविद्यालय द्वारा शासनादेश एवं अन्य सुसंगत नियमों का पूर्णरूपेण परिपालन किया जा  
रहा है।
२. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन द्वारा निर्धारित शर्तों एवं  
मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य  
विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई  
सम्बन्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, उ०प्र०, १८-ए, न्याय मार्ग, इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
४. प्रबन्धक, कमला नेहरू भौतिकी एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुलतानपुर

Amil Singh  
before How

(राकेश कुमार ओझा)  
कुलाधिपति के विशेष सचिव



डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक : 01/10/2014  
संख्या: एफिल/वी0सी0/2084

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य,  
सी0एस0 मैमोरियल डिग्री कालेज, बासबादाम, बहरामपुर, एत्मादपुर, आगरा

विषय- सी0एस0 मैमोरियल डिग्री कालेज, बासबादाम, बहरामपुर, एत्मादपुर, आगरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.एस.सी. (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब0-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत सी0एस0 मैमोरियल डिग्री कालेज, बासबादाम, बहरामपुर, एत्मादपुर, आगरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी.एस.सी. (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

प्राचार्य/शिक्षक विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी-

1. महाविद्यालय द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
2. यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

प्रधान प्राचार्य  
सी0एस0 मैमोरियल डिग्री कालेज




3. संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान /महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें पूरी कर रहा है ।
4. महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है । यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख /सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कॉलेज प्रबन्धतंत्र का होगा ।

भवदीय


  
कुलसचिव

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
3. वित्त अधिकारी, डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा ।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी आगरा एवं अलीगढ़ मंडल ।
5. सचिव/प्रबन्धक, सी0एस0 मैमोरियल डिग्री कालेज, बासबादाम, बहरामपुर, एत्मादपुर, आगरा
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु ।
7. वेब साइट प्रभारी डा0बी0आर0अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
8. उप/सहायक कुलसचिव/ सम्बन्धन /परीक्षा ।
9. अधीक्षक सम्बन्धन विभाग ।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय


  
कुलसचिव

D. U.

प्रबन्धक/सचिव

सी०एस० मैमोरियल डिग्री कालेज  
बासबादाम बहरामपुर, आगरा



## डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2014/2090

दिनांक : 12-11, 2014

सेवा में,

प्रबन्धक,

बिहारी लाल स्मारक किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
आमादरवेशपुर, अम्बेडकरनगर।

विषय : शैक्षिक सत्र 2014-15 से महाविद्यालय को बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या: 1102/सत्तर-2-2014-97/2014 दिनांक: 01 अगस्त, 2014 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु नवीन महाविद्यालयों/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-14 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, के क्रम में दिनांक 12.09.2014 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक के मद संख्या-13 पर लिये गये निर्णय के आलोक में बिहारी लाल स्मारक किसान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, आमादरवेशपुर, अम्बेडकरनगर को स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों को संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से मात्र शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाता है—

1. महाविद्यालय/संस्था सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति निर्धारित समय में पूर्ण कर लेगा।
2. जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण कक्षायें प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जाय तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय, सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।



4. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
7. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडेटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

शासन के पत्र दिनांक 01.08.2014 की शर्त की पूर्ति न होने के दृष्टिगत दिनांक 01.07.2014 से मात्र शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु सम्बद्धता आदेश निर्गत किया जाता है। उक्त कमियों की पूर्ति करने के पश्चात प्रश्नगत आदेश को स्थाई सम्बद्धता आदेश में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

भवदीय

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 परीक्षा नियन्त्रक।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

  
कुलसचिव



# डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आंगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/2052/14

दिनांक:..25.10.14..

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक  
श्री सिद्धि विनायक एजुकेशनल महाविद्यालय  
रायभा, अछनेरा  
आगरा।

महोदय,

उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या:सम्ब0-281/सत्तर-2-2013-2(281)/2013 दिनांक 16 अगस्त, 2013 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007) की धारा-37 (2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम/विषयों में दिनांक 01.07.2013 से आगामी तीन वर्ष हेतु उक्त पत्र में उल्लिखित आठ शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई हैं।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 16 अगस्त, 2013 में उल्लिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करता रहेगा।

- (1) विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि सम्बद्धता सम्बन्धी शासन को उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के साथ महाविद्यालय द्वारा संलग्न किये गये अभिलेख प्रमाणिक एवं सत्य हैं। विश्वविद्यालय स्तर से इसकी पुनः पुष्टि कर ली जायेगी। अभिलेखों से इतर पाये जाने की स्थिति में विश्वविद्यालय का दायित्व होगा कि सम्बन्धित महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति से शासन को तत्काल सूचित किया जाये।
- (2) महाविद्यालय को प्रदान किये जाने वाले सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों का निरन्तर अनुश्रवण किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण नहीं किया जा रहा है/नहीं किया गया है, तो सम्बद्धता वापस लेने की कार्यवाही की जायेगी और विश्वविद्यालय तथा सम्बन्धित महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- (3) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(2) के द्वितीय परन्तुक में यह व्यवस्था है कि "परन्तु अग्रेतर यह कि जब तक सम्बद्धता की सभी निर्धारित शर्तों का महाविद्यालय द्वारा पालन न किया गया हो, तब तक वह अध्ययन के उस पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं देगा, जिसके लिये उस सम्बद्धता के प्रारम्भ होने की तारीख से एक वर्ष के पश्चात् पूर्वगामी परन्तुक के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।" अर्थात् विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रस्ताव में इंगित समस्त कमियों की पूर्ति कर ली गयी है, अन्यथा की दशा में आगामी शिक्षण सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।

1.

Principal

Shri Siddhi Vinayak Educational Mahavidyalaya  
Raibha - Agra

Secretary

Shri Siddhi Vinayak Education  
Mahavidyalaya, Raibha-Agra



- (4) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित) की धारा-37(6) एवं 37(7) में इस सम्बन्ध में सुसंगत व्यवस्था निम्न है:-  
 37(6):- कार्यपरिषद् प्रत्येक सम्बद्ध महाविद्यालय का निरीक्षण, उस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत एक या अधिक व्यक्तियों द्वारा पांच वर्ष से अनधिक के अन्तराल पर समय-समय पर करायेगा और उस निरीक्षण की रिपोर्ट कार्यपरिषद् को दी जायेगी।  
 37(7):- कार्यपरिषद् इस प्रकार निरीक्षण किये गये सम्बद्ध महाविद्यालय को ऐसी कार्यवाई करने का निर्देश कर सकेगा जो उसे उस अवधि के भीतर, जिसे विहित किया जाये आवश्यक लगे।  
 उक्त प्राविधानों के अन्तर्गत विश्वविद्यालय द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी और शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जायेगी।
- (5) सम्बद्धता आदेश में उल्लिखित कमियों की पूर्ति के उपरान्त ही विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता आदेश निर्गत किया गया है, के सम्बन्ध में सम्बन्धित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा एक माह में शासन को सूचना उपलब्ध करायी जायेगी।
- (6) सम्बद्धता आदेश निर्गत करने के पहले विश्वविद्यालय के कुलपति तथा कुलसचिव इस बात का भली-भांति परीक्षण कर लेंगे कि विभिन्न मानकों पर पूर्ण अनुपालन किया जा रहा है और जो भी कमी प्रदर्शित हुयी है उसकी पूर्ति कर ली गयी है। अगर भविष्य में मानकों के त्रिपरीत महाविद्यालयों का संचालन पाया गया व अभिलेखों की अप्रमाणिकता प्रकाश में आयी तो यह पूर्व अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- (7) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (8) मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।  
 यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वार्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।  
 उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव

(सम्बद्धन)

M. K. Singh

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- उपसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 3- निजी सचिव कुलपति।
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
- 5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव

(सम्बद्धन)





# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/1230  
सेवा में,

दिनांक: 18/1/2014

प्रबन्धक/प्राचार्य

बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
नगर पंचायत, भटनी, देवरिया

विषय: बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नगर पंचायत, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या सम्ब0 365/सत्तर-6-2014-2(360)/2014 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा बहादुर यादव मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय, नगर पंचायत, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत, दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु कतिपय शर्तों के प्रतिबन्धों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा-37(2) के अन्तर्गत दी गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत तथा महाविद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 21.07.2014 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये शपथपत्र के दृष्टिगत कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. शासन के पत्र संख्या सम्ब0 365/सत्तर-6-2014-2(360)/2014 दिनांक 24 जून, 2014 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता है।
2. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित कमियों यथा - शैक्षिक सत्र 2012-13 की परीक्षा में नकल में आरोपित रहा है तथा वर्ष 2013-14 सी0ए0 रिपोर्ट वांछित है तथा याचित विषयों में शिक्षक अनुमोदित नहीं है, को एक माह में पूर्ण कर लेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
6. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को सैफिग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
3. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य,, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. उप कुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)

कुलसचिव



प्रेषक,

दिलीप कुमार श्रीवास्तव,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2014

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/214, दिनांक 30.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय, नगर पंचायत, भटनी, देवरिया को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित कमियों यथा- शैक्षिक सत्र 2012-13 की परीक्षा में नकल में आरोपित है, शैक्षिक सत्र 2013-14 सी.ए. रिपोर्ट वांछित है तथा याचित विषयों में शिक्षक अनुमोदित नहीं है, को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता संबंधी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/ महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0 365(1)/सत्तर-6-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. प्रबन्धक, बहादुर यादव मेमोरियल महाविद्यालय, नगर पंचायत, भटनी, देवरिया।
5. गार्ड फाइल।

संज्ञा से,  
(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।



# Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya

डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

## COURSE WISE DETAILS

COLLEGE NAME : RANA PRATAP P.G COLLEGE SULTANPUR

S.NO	COURSE NAME	SUBJECT	REMARKS
1	BACHELOR OF EDUCATION (B. ED.)	FACULTY OF EDUCATION	
2	BACHELOR OF ARTS (B.A.)	ANCIENT INDIAN HISTORY ARCHAEOLOGY & CULTURE, DEFENCE & STRATEGIC STUDIES, ECONOMICS, EDUCATION, ENGLISH, GEOGRAPHY, HINDI, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, SANSKRIT, SOCIOLOGY, URDU	
3	BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)	YOGA AND FITNESS	
4	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	HINDI	
5	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	SANSKRIT	
6	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	POLITICAL SCIENCE	
7	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	SOCIOLOGY	
8	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	ANCIENT INDIAN HISTORY & ARCHAEOLOGY	
9	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	GEOGRAPHY	

**Disclaimer :** The above statement of Course's, displayed is just for information purpose and shall not be legally equivalent to affiliation records

The statement of Course's in the university affiliation Records Shall be the final . In case of any discrepancy, college should ensure Course's from affiliation records for admissions.

Excess admission beyond affiliation records will be illegal.

© Copyright, Avadh University, Faizabad India



151  
15/8/07

2616  
संख्या-2626/सत्तर-6-2007-2(3)/2004टीसी

प्रेषक,

प्रेम शंकर,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।  
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: 13 अगस्त, 2007

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्बद्धन/402/2007, दिनांक 15.07.2007के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन श्री राज्यपाल ग्रामोदय महाविद्यालय, वीर सिंहपुर, सया, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2007 से सम्बद्धता की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के सुसंगत प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(प्रेम शंकर)  
अनु सचिव।

संख्या-2616(1)/सत्तर-6-2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, ग्रामोदय महाविद्यालय, वीर सिंहपुर, सया, अम्बेडकरनगर।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(प्रेम शंकर)  
अनु सचिव।





# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बन्धन/ 793/13

दिनांक: 14.6.2013.

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य/निदेशक  
श्रीमती लीलादेवी कालेज,  
मंगना, बल्लेश  
मथुरा।

महोदय,

अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के पत्र संख्या:सम्ब0-587/सत्तर-2-2012-2(587)/2012 दिनांक 20 नवम्बर, 2012 द्वारा सूचित किया गया है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007) की धारा-37 (2) के "परन्तुक के" अधीन आपके महाविद्यालय को स्वयंसेवा पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर विज्ञान संकायान्तर्गत बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम/विषयों में दिनांक 01.07.2011 से 30.06.2012 तक कार्यान्तर्गत एवं दिनांक 01.07.2012 से उक्त पत्र में उल्लिखित दो शर्तों के अधीन राज्य सरकार द्वारा सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश शासन के उक्त सन्दर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि विश्वविद्यालय द्वारा आपके महाविद्यालय को उपर्युक्त पाठ्यक्रम में सम्बद्धता इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त पत्र दिनांक 20 नवम्बर, 2012 में उल्लिखित शर्तों को निरन्तर पूर्ण करता रहेगा।

- (1) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (2) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनका निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। यदि प्रबन्धतंत्र शासन के उक्त वर्णित पत्र में इंगित कमियों को समयान्तर्गत पूर्ण नहीं करता है तो सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी। उपर्युक्त के अनुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय

उपकुलसचिव (सम्बन्धन)  
S. S. S. S.

प्रतिक्रिया:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:-

- 1- अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ
- 2- सहायक कुलसचिव/उपकुलसचिव परीक्षा, गोपनीय, शैक्षिक, प्रकाशन, लेखा।
- 3- निजी सचिव कुलपति।
- 4- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा मण्डल, जिला पंचायत परिसर, बालूगंज, आगरा।
- 5- अधीक्षक, एकेडमिक विभाग (कार्य परिषद)।

उपकुलसचिव (सम्बन्धन)





# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या:सम्बद्धन/ (07) 2221 /2015  
दिनांक:.....12.10.15

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य  
श्रीमती लीला देवी कालेज, मंगना, बल्देव, मथुरा

विषय:- श्रीमती लीला देवी कालेज, मंगना, बल्देव, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०एससी०(गणित/रसायनविज्ञान) पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलपति महोदय के आदेशानुसार श्रीमती लीला देवी कालेज, मंगना, बल्देव, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर एम०एससी०(गणित/रसायनविज्ञान) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

शिक्षक अनुमोदन का पत्र संलग्न नहीं है

यह सम्बद्धता (सत्र 2015-16 से) दिनांक 01.07.2015 से दो वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

- (1) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा 37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। जिसकी जिम्मेदारी महाविद्यालय की होगी। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तस्22013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (2) शिक्षक/प्राचार्य एवं प्रबन्ध समिति के अनुमोदन की प्रक्रिया एक माह में प्रारम्भ करा ली जाय। अन्यथा की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (3) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (4) संस्थान/महाविद्यालय स्तर सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस अम्रय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।



# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक: 01-10-14  
संख्या: एफिल/वी०सी०/२२०२

सेवा में,

सचिव/प्राचार्य

बाजीराव डिग्री कालेज, नानपुर, बिचपुरी रोड़, आगरा

विषय:- बाजीराव डिग्री कालेज, नानपुर, बिचपुरी रोड़, आगरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब०-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत बाजीराव डिग्री कालेज, नानपुर, बिचपुरी रोड़, आगरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र बी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नवत है, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदित नहीं, प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

- (1) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

*V. S. Chaudhary*  
Manager/Secretary  
Bairao Degree College  
(Agara)



- (4) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय


  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, बाजीराव डिग्री कालेज, नानपुर, बिचपुरी रोड़, आगरा।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।


  
कुलसचिव

*V. V. Chaudhary*  
 Manager/Secretary  
 Vajirao Degree College  
 Bichpuri (Agra)



# डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

दिनांक: 01-10-14  
संख्या: एफिल/वी०सी०/ 2167

सेवा में,  
सचिव/प्राचार्य  
ओ०डी०एम० कालेज, कोयल, राया, मथुरा

विषय:- ओ०डी०एम० कालेज, कोयल, राया, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,  
उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या सम्ब०-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01.08.2014 के सन्दर्भ में यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 के प्रावधानों के अन्तर्गत ओ०डी०एम० कालेज, कोयल, राया, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी० (बायो/मैथ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत उपर्युक्त शासनादेश में (प्रपत्र सी) में अंकित कमियों को पूरा किये जाने की शर्तों के अधीन जो कि निम्नलिखित हैं, सम्बद्धता प्रदान की जाती है :-

प्राचार्य/शिक्षक अनुमोदित नहीं, प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं

यह सम्बद्धता (सत्र 2014-15 से) दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्ष के लिए निम्नलिखित के अधीन प्रभावी होगी :-

- (1) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। इसी क्रम में रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश में निम्नलिखित इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।

Principal  
ODM COLLEGE



- (4) महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटरचित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।

भवदीय

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त अधिकारी, डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं अलीगढ़ मंडल।
5. सचिव/प्रबन्धक, ओ0डी0एम0 कालेज, कोयल, राया, मथुरा।
6. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. वेबसाइट प्रभारी डा0 बी0आर0 अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
8. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
9. अधीक्षक सम्बद्धन विभाग।
10. अधीक्षक कुलपति सचिवालय।

  
कुलसचिव



# दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर -273009

दिनांक 5/11/2014

पत्रांक: दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/1439

सेवा में,

प्रबन्धक/प्राचार्य

कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक पी0जी0 कालेज  
बालेन्द्रपुरी, डुमरीखास, गोरखपुर

विषय: कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक पी0जी0 कालेज, बालेन्द्रपुरी, डुमरीखास, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासन के पत्र संख्या सम्ब0 269/सत्तर-6-2014-2(278)/2014 दिनांक 24 जून, 2014 द्वारा कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक पी0जी0 कालेज, बालेन्द्रपुरी, डुमरीखास, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु कमियों की पूर्ति की शर्तों के प्रतिबन्धों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान की गयी है। शासन द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथा संशोधित) की धारा-37(2) के अन्तर्गत दी गई पूर्वानुमति के दृष्टिगत तथा महाविद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 07.10.2014 तथा उसके साथ उपलब्ध कराये गये शपथपत्र के दृष्टिगत कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत शैक्षिक कार्यों के संचालन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2014 से शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. शासन के पत्र संख्या सम्ब0 269/सत्तर-6-2014-2(278)/2014 दिनांक 24 जून, 2014 में उल्लिखित शर्तों के अधीन यह सम्बद्धता है।
2. महाविद्यालय में इंगित कमियों यथा - प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदित नहीं है, को एक माह में पूर्ण कर लेगा अन्यथा की स्थिति में सम्बद्धता आदेश निरस्त कर दिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय संशर्त सम्बद्धता आदेश में इंगित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
6. रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित प्राविधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।
8. संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश/शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक् अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय 180 शिक्षण दिवस पूर्ण करेगा।

भवदीय,

कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग 6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ0प्र0, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर
3. वित्त अधिकारी, दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
4. अधिष्ठाता, विज्ञान संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उप कुलसचिव, परीक्षा सामान्य., दी0द0उ0गो0वि0वि0, गोरखपुर।
5. उप कुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
6. गाई फाईल (सम्बद्धता)

कुलसचिव

के०बी०आर०डी०, गोरखपुरी, डुमरीखास, गोरखपुर



दिलीप कुमार श्रीवास्तव,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संलग्नक - 05

सेवा में,

कुलसचिव,  
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 24 जून, 2014

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-दी0द0उ0गो0वि0वि0/सम्बद्धता/2014/53, दिनांक 30.04.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक पी0जी0 कालेज, बालेन्द्रपुरी, डुमरीखास, गोरखपुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सशर्त अस्थायी सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित कमियों यथा- प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदित नहीं है, को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता संबंधी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से संबंधित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/ महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20-12-2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0 269(1)/सत्तर-6-2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अपर सचिव, राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, छठां तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ को विभा। की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
4. प्रवन्धक, कबूतरी देवी राजेश्वर त्रिपाठी स्मारक पी0जी0 कालेज, बालेन्द्रपुरी, डुमरीखास, गोरखपुर।
5. गार्ड फाइल।

अध्यक्ष/मंत्रि

के.डी.आर.जी. एम. पी.डी. कालेज  
बालेन्द्रपुरी, डुमरी खास, गोरखपुर (उ.प्र.)

अध्यक्ष  
के.डी.आर.जी. एम. पी.डी. कालेज  
बालेन्द्रपुरी, डुमरी खास, गोरखपुर (उ.प्र.)

आज्ञा से,  
(दिलीप कुमार श्रीवास्तव)  
अनु सचिव।



**डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा**  
(पूर्ववर्ती: आगरा विश्वविद्यालय, आगरा)

संख्या/379/2016-  
दिनांक: 14/07/2016

सेवा में,  
राज्य/प्राचार्य  
बी०डी०एम० महाविद्यालय, पैगोंव, मथुरा

विषय: बी०डी०एम० महाविद्यालय, पैगोंव, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी०(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में सम्बद्धता की अनुमति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या सम्ब०-1148/सत्तर-2-2014-16(258)/2013 दिनांक 01 अगस्त, 2014 के द्वारा बी०डी०एम० महाविद्यालय, पैगोंव, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी०(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत 01.07.2014 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान किया जाना सूचित किया गया था।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन कुलापति महोदय के आदेशानुसार बी०डी०एम० महाविद्यालय, पैगोंव, मथुरा को विज्ञान संकायान्तर्गत स्नातक स्तर पर बी०एससी०(बायो/मैथ) पाठ्यक्रमों में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत शासनादेश में (प्रपत्र ए) के साथ दिनांक 01.07.2015 से सम्बद्धता दिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगी :-

- (1) महाविद्यालय द्वारा उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार रिट याचिका संख्या 61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल 2013 का अनुपालन महाविद्यालय शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने के साथ सुनिश्चित कराया जायेगा।
- (2) यदि महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित प्रावधानों/उपबन्धों तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत महाविद्यालय को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- (3) संस्थान/महाविद्यालय सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता आदेश के अनुपालन में विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (4) महाविद्यालय शासनादेश संख्या 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
- (5) महाविद्यालय की सम्बद्धता प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित अभिलेखों के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि किसी स्तर पर पाया जाता है कि सम्बन्धित अभिलेख/सूचना कूटस्थित, असत्य थी एवं ऐसा कोई तथ्य छिपाया गया हो जिससे कि महाविद्यालय को सम्बद्धता नहीं दी जा सकती थी, तो प्राप्त सम्बद्धता निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी जिसका पूरा उत्तरदायित्व कालेज प्रबन्धतंत्र का होगा।
- (6) संस्था का संचालन व्यावसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा एवं संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण व अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
- (7) संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी एवं महाविद्यालय 180 शिक्षण विषय पूर्ण करेगा।
- (8) महाविद्यालय जाल इण्डिया सर्वे ऑफ हायर ऐजुकेशन(ए०आई०एस०एच०ई०) से जोड़ने हेतु प्रत्येक सत्र में डी०सी०एफ० - II पूर्ण कर विश्वविद्यालय को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगी।

यह सम्बद्धता कार्य परिषद् की अनुमति की प्रत्याशा में जारी की जा रही है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वित्त जादेकारी, डा० भी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा।
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा एवं उत्तीर्ण मंडल।
5. अपर सचिव उच्च शिक्षा परिषद इंदिरा भवन लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
6. वेबसाइट प्रभारी डा० भी०आर० अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा को वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
7. उप/सहायक कुलसचिव/सम्बद्धन/परीक्षा।
8. अपीलक सम्बद्धन विभाग।
9. भविलास कुलापति महाविद्यालय।

[हस्ताक्षर]  
सचिव  
बी०डी०एम० महाविद्यालय  
पैगोंव, मथुरा

कुलसचिव



संख्या-सम्ब0-507/सत्तर-2-2010-2(507)/2010

प्रेषक,

सुरजन सिंह,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डॉ० भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय,  
आगरा।

शिक्षा अनुभाग-2

लखनऊ:दिनांक: 30 अगस्त, 2010

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

संदर्भ,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक:सम्बद्धन/830/10, दिनांक 19-08-2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन एस0एस0 एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, मलपुरा, आगरा को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र एवं गृह विज्ञान) तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एस-सी0 (बायो-मैथ) पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01-07-2010 से आगामी तीन वर्ष हेतु सशर्त सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

- (1) संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2003 द्वारा मूल अधिनियम, 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
- (2) संस्थान/महाविद्यालय प्रपत्र 'बी' में अंकित कमियों की पूर्ति कर लेगा एवं विश्वविद्यालय के कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों निरन्तर पूरी कर रहा है।
- (3) संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- (4) यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(सुरजन सिंह)  
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0-507(1)/सत्तर-2-2010-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- (2) क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बालूगंज, आगरा।
- (3) सचिव/प्रबन्धक, एस0एस0 एजूकेशनल इंस्टीट्यूट, मलपुरा, आगरा।
- (4) निजी सचिव, मा0 उच्च शिक्षा मंत्री।
- (5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



सेवा में,

प्रबन्धक,  
कल्पना शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (महाविद्यालयसय)  
सरायमनोहर, हैदरगंज, फैजाबाद।

विषय : शैक्षिक सत्र 2014-15 से महाविद्यालय को एम0ए0 एवं बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित दिनांक 18 जुलाई, 2014 के द्वारा शैक्षिक सत्र 2014-15 हेतु नवीन महाविद्यालयों/पूर्व संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम-14 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को समाप्त कर दिया गया है, के क्रम में दिनांक 12.09.2014 को सम्पन्न विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद की बैठक के मद संख्या-13 पर लिये गये निर्णय के आलोक में कल्पना शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान (महाविद्यालयसय), सरायमनोहर, हैदरगंज, फैजाबाद को स्वयित्तपोषित योजना के अन्तर्गत संचालित सत्र पर विद्यार्थी संख्या, प्रमाण पत्र, प्राचार्य एवं पूर्व के अध्यापकों की नियुक्ति एवं बैंक खाते तथा प्रमाण संलग्न न होने सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर लेना। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय, सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।

1. महाविद्यालय/संस्था सम्बद्धता समिति की कार्यवाही में इंगित कमियों यथा-प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेना एवं शिक्षकों की नियुक्ति का प्रमाण पत्र, प्राचार्य एवं पूर्व के अध्यापकों की नियुक्ति एवं बैंक खाते का प्रमाण संलग्न न होने सम्बन्धी कमियों को पूर्ण कर लेना अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है।
3. महाविद्यालय/संस्था द्वारा सम्बद्धता प्राप्त की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के शर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की पूर्वानुमति के निर्गत आदेशों में इंगित कमियों यथा-प्राभूत का नवीनीकरण, अग्निशमन प्रमाण पत्र का नवीनीकरण व एन0बी0सी0 प्रमाण-पत्र सक्षम स्तर से निर्गत न होने की कमी का निराकरण कक्षाएँ प्रारम्भ होने से पूर्व कराया जाय तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालयों से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय, सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
5. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
8. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
9. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा।

भवदीय

  
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक: उपरोक्त

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक/ वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव



राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश,  
लखनऊ-227132

संख्या-ई.स. 1909 / जी.ए.  
दिनांक: 11/10/2006

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के अनु सचिव  
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,  
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,  
बरेली।

महोदय,

आपके पत्रांक: रू०वि०/सम्ब०/१६(५)/२००६/८२०८-१० दिनांक २८-६-२००६ के संदर्भ मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ की धारा-३७ (२) के अधीन साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत गृह विज्ञान विषय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्त के अधीन दिनांक ०१-०७-२००६ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है:-

- १- संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१ (६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई २००३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।
- २- यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन ए विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-१९७३ के सुसंगत प्राविधानों व अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार क जायेगी।

भवदीय,

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- २- निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
- ३- प्रबन्धक/प्राचार्य, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय, बरेली।

( विजय कुमार सिंह )  
कुलाधिपति के अनु सचिव





# डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2016 / 10165

दिनांक : 30-5-2016

सेवा में,

प्रबन्धक,

आशा भगवान बक्श सिंह महाविद्यालय,  
पूराबाजार, फैजाबाद।

विषय : महाविद्यालय को बी0एस-सी0 कृषि एवं बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में आशा भगवान बक्श सिंह महाविद्यालय, पूराबाजार, फैजाबाद को स्नातक स्तर पर कृषि संकाय के अन्तर्गत बी0एस-सी0 कृषि चारवर्षीय पाठ्यक्रम तथा विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषय को संचालित किये जाने हेतु निरीक्षण मण्डल की संस्तुति सहित आख्या पर शासन द्वारा गठित सम्बद्धता समिति के संस्तुति के उपरान्त निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक: 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

1. महाविद्यालय/संस्था इंगित कमियों यथा-प्रवक्ता अनुमोदित नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य/विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकर, नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण करने का पत्र एवं अनुबन्ध पत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. प्रयोगशालाओं में उपकरण उपलब्ध होने तथा उनके क्रय की रसीद फोटोग्राफ एवं इस आशय का फोटोयुक्त नोटरी शपथ-पत्र तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें।
3. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
4. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी। एवं प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
7. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा। अनुमोदित शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगे।
8. महाविद्यालय/संस्था द्वारा कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है।

भवदीय

उप कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 परीक्षा नियन्त्रक/ विस्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।





# Seat Availability

## SEAT AVAILABILITY

उपलब्ध सीट (Available Seats)

Course	Seat Available	Subjects
B.A. (Arts Group)	720	HINDI LANGUAGE GENERAL ENGLISH ENGLISH LITERATURE HINDI LITERATURE SANSKRIT DRAWING AND PAINTING MUSIC HOME SCIENCE PSYCHOLOGY GEOGRAPHY ECONOMICS HISTORY POLITICAL SCIENCE SOCIOLOGY PHYSICAL EDUCATION
B.Com. (Commerce Group)	160	Group - A Group - B Group - C
B.Sc. (Biology Group)	80	BOTANY CHEMISTRY ZOOLOGY
B.Sc. (Mathematics Group)	80	CHEMISTRY MATHEMATICS PHYSICS
M.A. (Home Science)	60	HOME SCIENCE
M.A. (Music)	60	MUSIC
M.A. (Political Science)	60	POLITICAL SCIENCE
M.A. (Sociology)	60	SOCIOLOGY
M.Sc. (Botany)	30	BOTANY



S-936

(43)

## ADMIN AREA

**Admin** (<http://www.ggpgcvral.org/admin>)

## DOWNLOAD

Prospectus (<http://www.ggpgcvral.org/prospectus>)New Admission Form (<http://www.ggpgcvral.org/student>)AQAR Reports (2018-19) ([http://www.ggpgcvral.org/assets/reports/2018\\_19\\_AQAR.pdf](http://www.ggpgcvral.org/assets/reports/2018_19_AQAR.pdf))IQAC Meetings (2019-20) ([http://www.ggpgcvral.org/assets/reports/IQAC\\_meetings\\_2019-20.pdf](http://www.ggpgcvral.org/assets/reports/IQAC_meetings_2019-20.pdf))Academic Calender (2019-20) ([http://www.ggpgcvral.org/assets/reports/Academic\\_calendar\\_2019-20.pdf](http://www.ggpgcvral.org/assets/reports/Academic_calendar_2019-20.pdf))

## IMP. LINKS

MJP Rohilkhand University (<http://www.mjpru.ac.in/>)University Grants Commission (<http://www.ugc.ac.in/>)All India Council for Technical Education (<http://www.aicte-india.org/>)Department of Higher Education (<http://uphed.gov.in/directorate>)National Assessment and Accreditation Council (<http://www.naac.gov.in/>)National Council for Teachers Education (<http://ncte-india.org/>)Ministry HRD (<http://www.sakshat.ac.in/>)Scholarship & Fee Reimbrusment Online System (<http://scholarship.up.nic.in/>)

## SOCIAL LINKS



Copyright © All Rights Reserved

Powered by : SPRY (<http://spry.co.in/>)



# हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

## Hindu College, Moradabad

Affiliated to M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly

(/)

[HOME \(/\)](#) [LIBRARY \(HTTPS://ERP.HINDUCOLLEGE.EDU.IN/LIBRARY/INDEX.PHP\)](https://erp.hinducollege.edu.in/library/index.php) [ERP LOGIN \(HTTPS://ERP.HINDUCOLLEGE.EDU.IN\)](https://erp.hinducollege.edu.in)  
[CONTACT US \(/INDEX.PHP?OPTION=COM\\_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=27\)](/index.php?option=com_content&view=article&id=27)

## Undergraduate

1. B.A.
2. B.Sc. - Maths/Bio
3. B.Com
4. B.Com - Hons. (under Self Finance Scheme)
5. B.Ed.
6. B.Sc. - Bio-Technology (under Self Finance Scheme)

### Quick Links

[RTI \(/index.php?option=com\\_content&view=article&id=48\)](/index.php?option=com_content&view=article&id=48)

[Online Fee Submission](#)

[Email Login](#)

### Extra Links

[M.J.P.R.U. \(http://www.mjpru.ac.in/\)](http://www.mjpru.ac.in/)

[UGC \(https://ugc.ac.in/\)](https://ugc.ac.in/)

[NAAC \(http://www.naac.gov.in/\)](http://www.naac.gov.in/)

[DHEUP \(http://www.dheup.com/\)](http://www.dheup.com/)

[UPHED \(http://www.uphed.gov.in/\)](http://www.uphed.gov.in/)

### Contact Us

**Address:** Station Road, Moradabad U.P, India - 244001

**Phone:** 0591-2311919, 0591-2311959

**E-mail:** hinducollegembd@gmail.com

**Website:** hinducollege.edu.in







# हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

## Hindu College, Moradabad

Affiliated to M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly

(/)

[HOME \(/\)](#) [LIBRARY \(HTTPS://ERP.HINDUCOLLEGE.EDU.IN/LIBRARY/INDEX.PHP\)](https://erp.hinducollege.edu.in/library/index.php) [ERP LOGIN \(HTTPS://ERP.HINDUCOLLEGE.EDU.IN\)](https://erp.hinducollege.edu.in)  
[CONTACT US \(/INDEX.PHP?OPTION=COM\\_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=27\)](https://index.php?option=com_content&view=article&id=27)

## Post Graduate

1. M.A. - Hindi/English/Geography/Political Science/Sanskrit/Sociology/Economics
2. M.A. - Urdu/Defence Studies/Psychology/Home Science (under Self Finance Scheme)
3. M.Com
4. M.Sc. - (Zoology/Botany/Maths/Physics/Chemistry)
5. M.Ed.

### Quick Links

[RTI \(/index.php?option=com\\_content&view=article&id=48\)](https://index.php?option=com_content&view=article&id=48)

[Online Fee Submission](#)

[Email Login](#)

### Extra Links

[M.J.P.R.U. \(http://www.mjpru.ac.in/\)](http://www.mjpru.ac.in/)

[UGC \(https://ugc.ac.in/\)](https://ugc.ac.in/)

[NAAC \(http://www.naac.gov.in/\)](http://www.naac.gov.in/)

[DHEUP \(http://www.dheup.com/\)](http://www.dheup.com/)

[UPHED \(http://www.uphed.gov.in/\)](http://www.uphed.gov.in/)

### Contact Us

**Address:** Station Road, Moradabad U.P, India - 244001

**Phone:** 0591-2311919, 0591-2311959

**E-mail:** hinducollegembd@gmail.com

**Website:** hinducollege.edu.in



# हिन्दू कॉलेज, मुरादाबाद

## Hindu College, Moradabad

Affiliated to M.J.P. Rohilkhand University, Bareilly

(0)

[HOME \(/\)](#) [LIBRARY \(HTTPS://ERP.HINDUCOLLEGE.EDU.IN/LIBRARY/INDEX.PHP\)](https://erp.hinducollege.edu.in/library/index.php) [ERP LOGIN \(HTTPS://ERP.HINDUCOLLEGE.EDU.IN\)](https://erp.hinducollege.edu.in)  
[CONTACT US \(/INDEX.PHP?OPTION=COM\\_CONTENT&VIEW=ARTICLE&ID=27\)](/index.php?option=com_content&view=article&id=27)

## Professional

1. BBA

### Quick Links

[RTI \(/index.php?option=com\\_content&view=article&id=48\)](/index.php?option=com_content&view=article&id=48)

[Online Fee Submission](#)

[Email Login](#)

### Extra Links

[M.J.P.R.U. \(http://www.mjpru.ac.in/\)](http://www.mjpru.ac.in/)

[UGC \(https://ugc.ac.in/\)](https://ugc.ac.in/)

[NAAC \(http://www.naac.gov.in/\)](http://www.naac.gov.in/)

[DHEUP \(http://www.dheup.com/\)](http://www.dheup.com/)

[UPHED \(http://www.uphed.gov.in/\)](http://www.uphed.gov.in/)

### Contact Us

**Address:** Station Road, Moradabad U.P, India - 244001

**Phone:** 0591-2311919, 0591-2311959

**E-mail:** hinducollegembd@gmail.com

**Website:** hinducollege.edu.in



प्रेषक,

आर०के०मिश्र,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
डा० राम मनोहर लोहिया अग्र विश्वविद्यालय,  
फैजाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक: 23 सितम्बर, 2009

विषय:- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।  
महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्बद्धन/एफ-514/2009, दिनांक 09.03.2009 एवं पत्रांक-लो०अ०वि०/सम्ब०/ए०एफ०-225(1)/235/2009, दिनांक 14.07.2009 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथासंशोधित उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा-37(2) के अधीन नन्दिनी नगर महाविद्यालय, नवाबगंज, गोरखा को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2009 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. संस्था शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2009-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
2. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली/अधिनियम में वर्णित उच्च शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णतः उच्च उत्कृष्ट निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

भवदीय,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

संख्या-3008(1)/सत्तर-6-2009, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ।
3. प्रबन्धक, नन्दिनी नगर महाविद्यालय, नवाबगंज, गोरखा।
4. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर०के०मिश्र)  
अनु सचिव।

शंकर देव पटेल,  
अनु सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

मूलसचिव,  
उच्च शिक्षा, मनोहर लोहिया आर्य समाज विद्यालय,  
आजमगढ़।

संख्या-सम्ब0 अनुभाग-6

लखनऊ: दिनांक: 13 सितम्बर, 2011

विषय- महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति।

सहायक।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-लो0अ0वि0/सम्ब0/2011-653, दिनांक 27.07.2011 एवं पत्रांक-लो0अ0वि0/सम्ब0/2011/254, दिनांक 06.08.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (अनुसूचित उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम, 2007) की धारा 29 के अधीन देव इन्द्रावती महाविद्यालय, कटहरी, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणि विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्ववित्तपोषित शैक्षणिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र 2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. शैक्षिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की शर्त पूर्वानुमति के प्रस्तावित आदेश की सम्बद्धता (स्थायी) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विद्यार्थियों को सम्बद्धता (स्थायी) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतद्विषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन के कार्यालय को भेजा जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
2. शासनादेश संख्या-2003/सत्तर-6-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित नुसार दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही स्थानांतरण की जाएगी।

भवदीय,  
(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।

संख्या-सम्ब0 650(1)/सत्तर-6-2011, तद्विनांक।

निम्नलिखित को सूचना हेतु आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, आजमगढ़।

2. सचिव, उच्च शिक्षा, अजमगढ़, अजमगढ़।

3. सचिव, उच्च शिक्षा, लखनऊ, लखनऊ।

4. सचिव, देव इन्द्रावती महाविद्यालय, कटहरी, अम्बेडकरनगर।

5. निजी सचिव, मंत्री, उच्च शिक्षा।

6. फाइल।

आज्ञा से प्रेषित

देव इन्द्रावती महाविद्यालय  
कटहरी अम्बेडकर नगर

आज्ञा से,  
(इन्द्रदेव पटेल)  
अनु सचिव।





# Bachelor of Science

HOME > BACHELOR OF SCIENCE

## Under Graduate Courses – Bachelor of Science

S.No	Subject Name	Syllabus
1.	Botany	Syllabus
2.	Bio-Technology	Syllabus
3.	Chemistry	Syllabus
4.	Economics	Syllabus
5.	Environmental Science	Syllabus
6.	Geography	Syllabus
7.	Mathematics	Syllabus
8.	Military Studies	Syllabus
9.	Physics	Syllabus
10.	Sports & Physical Education	Syllabus
11.	Statistics	Syllabus
12.	Zoology	Syllabus

### Courses In Bareilly College

- > Bachelor of Arts
- > **Bachelor of Science**
- > Bachelor of Commerce

- > Professional Courses:

- > Self Finance

- > Bachelor of Library & Information Science
    - > Bachelor of Commerce (Honors)
    - > Bachelor of Business Administration
    - > Bachelor in Computer Application
    - > Master of Library & Information Science
    - > M.Sc. (Environment Science)
    - > M.A. (Geography)
    - > Master of Education

- > Diploma

- > In Photography
    - > In Sculpture
    - > In Fashion Designing
    - > In Textile Designing
    - > In Interior Designing

- > Post Graduation Diploma

- > In Computer Application
    - > In Office Management
    - > In Travel & Tourism Management
    - > In Environment Management
    - > In Biotech.
    - > In J M C.
    - > In Modern Arabic

- > Bachelor of Education

- > Bachelor of Law

- > Master of Arts

- > Master of Science

- > Master of Commerce



2020-21 Calendar  
NCC /Rangers/ Rovers  
Fees Deposit Counters  
Academic Office

Online Learning  
Proctorial Board  
Dean of Student Welfare  
Academics Committes

M.D. Format  
Infra Structure  
Added Facilities  
Student Details

Affiliation  
Lease Deed  
Possession Certificate  
Registration Certificate

## About Bareilly College

Bareilly College, Bareilly cherishes an instinct, reaps a trust, carries a mission & nurtures a dream – a dream of being an exceptional institution anchored firmly in the strong roots of its culture, its spiritualism, its moral strength while spreading its centre in the fresh and fragrant air of technology.

## Academics

- > Bachelor of Arts
- > **Bachelor of Science**
- > P.G.D.C.A.
- > BCA
- > Master of Arts
- > Master of Commerce

## Contact Us





# सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर

पत्रांक 167 / सि०वि०वि० / सम्बद्धता / 2020

दिनांक 15.07/2020

कुलसचिव,  
सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु,  
सिद्धार्थनगर।

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य,  
श्री राम सहाय सिंह कन्या महाविद्यालय,  
महरीपुर, बस्ती।

विषय- स्नातक स्तर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में अवगत कराना है कि माननीय कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में महाविद्यालय में मानकानुसार प्राचार्य एवं शिक्षक अनुमोदन, बैलेन्स सीट, गत तीन वर्षों का 80 प्रतिशत परीक्षाफल एवं नकलविहीन प्रमाण-पत्र पूर्ति करा लिये जाने के कारण सत्र 2020-21 अर्थात् 01.07.2020 से स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति प्रदान कर दिया जाय, तथा महाविद्यालय द्वारा समय-समय पर शासन द्वारा जारी सम्बद्धता सम्बन्धी मानकों का अनुपालन किया जायेगा अन्यथा ऐसे महाविद्यालयों की सम्बद्धता समाप्त करने पर विचार किया जा सकता है।

अतः उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय द्वितीय संशोधन अधिनियम 2014) की धारा 37(2) के अधीन श्री राम सहाय सिंह कन्या महाविद्यालय, महरीपुर, बस्ती को स्नातक स्तर वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी०कॉम० पाठ्यक्रम तथा स्नातक स्तर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में स्वयत्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020-21 अर्थात् दिनांक 01.07.2020 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

1. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय से कक्षा संचालन की अनुमति प्राप्त कर छात्रों का प्रवेश सुनिश्चित किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में छात्रों का लिया गया प्रवेश अवैध माना जायेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य/प्रयुक्तों के कार्यभार ग्रहण करा कर नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र एवं सविदा पत्र विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराया जायेगा तथा इनका बैंक के माध्यम से वेतन भुगतान कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. संस्था शासनादेश सं० 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 02 जुलाई, 2003 एवं 4108/सत्तर-2-2007-2(494)/2007 दिनांक 17.10.2007 तथा 2112/सत्तर-2-2008-2(494)/2007 दिनांक 09 मई, 2008 में उल्लिखित सुसंत दिशा निर्देश एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंत शासनादेशों का पालन करेगी।
4. रिट याचिका सं० 81589/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं० 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012 दिनांक 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित करेगा।
5. कतिपय संस्थानों/महाविद्यालय को संशर्त सम्बद्धता आदेशों में इंगित कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय एक माह में पूर्ण करने की सूचना विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलपति को इस आशय का प्रमाण पत्र पत्तिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तों को निरन्तर पूरी कर रहा है।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा-तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
7. संस्था द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा 37(2) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले वर्ष सत्र से छात्रों को प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
8. संस्था का संचालन व्यवसायिक आधार पर नहीं किया जायेगा।
9. संस्था शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
10. संस्था विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश क्षमता से अधिक प्रवेश कदापि नहीं करेगी तथा विद्यार्थियों से शासन/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण य अन्य शुल्क ही प्राप्त करेगी।
11. संस्था परिसर को रैगिंग मुक्त रखेगी।
12. संस्था स्वयत्तपोषित पाठ्यक्रमों के संचालन के सम्बन्ध में अधिनियम/परिनियम/अध्यादेश शासनादेशों में दी गई व्यवस्था/निर्देशों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
13. महाविद्यालय की स्थायी सम्बद्धता की संस्तुति इस शर्त के साथ की जाती है। कि महाविद्यालय को दी जाने वाली सम्बद्धता में यदि कोई वैधानिक प्रक्रिया अथवा नियमों का उल्लंघन बहिष्कृत में पायी जाती है तो सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी और उपरोक्त के सम्बन्ध में महाविद्यालय के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।


भवदीय

  
कुलसचिव

पत्रांक - तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा उ०प्र०, इलाहाबाद/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, गोरखपुर।
3. अधिकाता, कला/वाणिज्य संकाय/परीक्षा नियंत्रक/उपकुलसचिव, परीक्षा सामान्य, सि०वि०वि०, सिद्धार्थनगर।
4. उपकुलसचिव, कमेटी को इस आशय से प्रेषित कि माननीय कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु इसे आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का कष्ट करें/कुलसचिव कार्यालय।
6. सचिव कुलपति, कुलपति जी के सूचनार्थ।
6. गार्ड फाईल (सम्बद्धता)।



ANSHU  
प्राचार्य

कुलसचिव



DR. RAMMANOHAR LOHIA AWADH UNIVERSITY, FAIZABAD,

यथा ह्येति

F.No.RR.VI/05/2018/0216

Dated: 28.07.2018

Declaration

This is to declare that Ranveer Ranjay Post Graduate College, Amethi, U.P is affiliated to the Dr. Rammanohar Lohia Awadh University, Faizabad and recognized by the SRA. (NCTE) and the following programs are taught in the College.

Sl. No.	Name of the Programme	Programme Duration	Current Affiliation Status
			Permanent/Temporary
I	M.A. in Hindi, English, Sanskrit, Sociology, History, Political Science, Sanskrit, Education, Military Science, Economics.	Three Years	Permanent
II	B.Com. General	Three Years	Permanent
III	B.Sc. in Physics, Chemistry, Mathematics, Zoology, Botany, Biochemistry, Microbiology.	Three Years	Permanent
IV	BCA	Three Years	Permanent
V	B.Ed.	Two Years	Permanent
VI	B.P.Ed.	Two Years	Permanent
VII	M.A. in Hindi, English, Sanskrit, Geography, Sociology, History, Political Science.	Two Years	Permanent
VIII	M.Com.	Two Years	Permanent
IX	M.Sc. in Chemistry, Botany	Two Years	Permanent
X	M.Phil.	Two Years	Permanent

Signature  
Registrar

Dr. R.L.A. University, Faizabad

कुल ललिव

डॉ० राध ललोलर लोललल अदध वललवलललल

संख्या-733/सत्तर-5-2010-4(12)/2004टी0सी0

प्रेषक,

डा0 रामानन्द प्रसाद,  
संयुक्त सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।सेवा में, कलसायक  
म० ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,  
बरेली।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 11 अगस्त, 2010

विषय: महाविद्यालय संचालन हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- रू0वि0/सम्ब0/2010/3567-68, दिनांक 29-04-2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन राजकीय महाविद्यालय बदायूं को स्नातक स्तर पर कला संकायान्तर्गत बी0ए0 (हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान तथा समाजशास्त्र) वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी0 काम0 तथा विज्ञान संकायान्तर्गत बी0एससी0 (रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित) पाठ्यक्रमों/विषयों में निम्नलिखित शर्त के अधीन दिनांक 01.07.2010 से सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

महाविद्यालय के प्राचार्य/निदेशक, उच्च शिक्षा द्वारा विश्वविद्यालय की परिणियमावली अध्यादेश में वर्णित तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों और समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा0 रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

संख्या- 733(1)/सत्तर-5-2010, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- 3- प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय बदायूं।
- 4- गार्ड फाइल।

*for*  
प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय  
बदायूं

आज्ञा से

(डा0 रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव



प्रेषक,

डा० रामानन्द प्रसाद,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,  
महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखण्ड विश्वविद्यालय,  
बरेली।

सच्च शिक्षा अनुभाग-5

लखनऊ, दिनांक 12 अगस्त, 2008

विषय- राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर, रामपुर को स्नातक स्तर पर कला/विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के विषयों में सम्बद्धता।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- रू०वि०/सं०/42(1)/2008/1875-78, दिनांक 24-7-2008, पत्र संख्या-रू०वि०/सं०/07(3)/2008/1887-88 दिनांक 24-7-2008 एवं पत्र संख्या-रू०वि०/सं०/54(2)/2008/1873-74, दिनांक 26-7-2008 के सन्दर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम 2007) के अधीन श्री राज्यपाल राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर, रामपुर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, अंग्रेजी, समाज शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, संस्कृत एवं इतिहास विषयों/पाठ्यक्रमों को दिनांक 1-7-2008 से सम्बद्धता प्रदान किये जाने तथा स्नातक स्तर पर ही विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जन्तु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान तथा वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत मी०काम० विषयों/पाठ्यक्रमों को दिनांक 1-7-2008 से आगामी 03 वर्ष के लिए निम्नांकित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- महाविद्यालय सम्बद्धता प्राप्त होते ही निरीक्षण आख्या/रिपोर्ट में इंगित समस्त कमियों को पूरा कर होगा अन्यथा अगले ऐश्विनिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतियन्त्रित रहेगा।

2- विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को महाविद्यालय को प्राचार्य/निदेशक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,

(डा० रामानन्द प्रसाद)  
संयुक्त सचिव।

संख्या-1890(1)/संस्तर-5-2008 तारु दिनांक

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के लिये

- 1- निदेशक सच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
- 2- क्षेत्रीय सच्च शिक्षा अधिकारी, बरेली।
- 3- प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर रामपुर।
- 4- उच्च शिक्षा अनुभाग-5
- 5- गार्ड फाइल

प्राचार्य

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय  
बिलासपुर (रामपुर)

Principal

Govt. P.G. College  
Bilasapur (Rampur)



# डा0 राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0/सम्ब0/2015/70/0

दिनांक : 22/6/2015

सेवा में,

प्रबन्धक,


झामबाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय,  
सुरजूपुर, जलालपुर, अम्बेडकरनगर।

विषय : महाविद्यालय को एम0ए0 एवं बी0एस-सी0 पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में झामबाबा स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सुरजूपुर, अम्बेडकरनगर को परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत शिक्षाशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, उर्दू विषयों तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों को संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक: 01.07.2015 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

1. महाविद्यालय/संस्था इंगित कमियों यथा-महाविद्यालय में याचित विषयों के प्रवक्ता विश्वविद्यालय से अनुमोदित नहीं हैं, वर्ष 2014-15 का परीक्षाफल संलग्न नहीं है, वेतन भुगतान प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अग्निशमन अद्यतन नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। विश्वविद्यालय से अनुमोदन कराकर प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकर, नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण करने का पत्र एवं अनुबन्ध पत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. महाविद्यालय/संस्था द्वारा उपरोक्त इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण एवं माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है।
3. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
4. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
6. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी0पी0एफ0 की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
7. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा। अनुमोदित शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगे।

  
PRINCIPAL  
Jham Baba P. G. College  
Surjoopur-Ambedkarnagar

भवदीय

  
कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 परीक्षा नियन्त्रक/ वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

कुलसचिव





# Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya

## डा० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या

### COURSE WISE DETAILS

**COLLEGE NAME : KUNWARI CHANDRAWATI MAHAVIDYALAYA MUMTAZ NAGAR AYODHYA**

S.NO	COURSE NAME	SUBJECT	REMARKS
1	BACHELOR OF COMPUTER APPLICATION (B.C.A.)	B.C.A. I ST SEMESTER	
2	BACHELOR OF EDUCATION (B. ED.)	FACULTY OF EDUCATION	
3	BACHELOR OF ARTS (B.A.)	ANCIENT INDIAN HISTORY ARCHAEOLOGY & CULTURE, EDUCATION, ENGLISH, HINDI, HOME SCIENCE, POLITICAL SCIENCE, PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY, URDU	
4	BACHELOR OF COMMERCE (B.COM.)	YOGA AND FITNESS	
5	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	HINDI	
6	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	EDUCATION	
7	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	SOCIOLOGY	
8	MASTER OF ARTS(PREVIOUS) M.A. PREV	HOME SCIENCE	

**Disclaimer :** The above statement of Course's, displayed is just for information purpose and shall not be legally equivalent to affiliation records

The statement of Course's in the university affiliation Records Shall be the final . In case of any discrepancy, college should ensure Course's from affiliation records for admissions.

Excess admission beyond affiliation records will be illegal.

© Copyright, Avadh University, Faizabad India

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./2193/2014 दिनांक 29.04.2014 के संदर्भ में हमें यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (संशोधित 2007) राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007 की धारा-37(2) के परन्तुक के अधीन शिवश्याम महाविद्यालय, शहबाजपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी0एससी0 पाठ्यक्रम के भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणि विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान तथा कला संकाय के अन्तर्गत बी0ए0 पाठ्यक्रम के गृह विज्ञान, भूगोल एवं उर्दू अतिरिक्त विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत दिनांक 01.07.2014 से तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:-

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र 'बी' में इंगित समस्त कमियों यथा मानकानुसार प्रवक्ता विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित नहीं है। अनुमोदित प्रवक्ताओं के नियुक्ति पत्र, कार्यभार ग्रहण आख्या, सविदा की प्रति तथा वेतन भुगतान सम्बन्धी अभिलेख संलग्न नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा तथा विश्वविद्यालय उक्त महाविद्यालय के सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करते हुए उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित अभिलेख महाविद्यालय से एक माह में प्राप्त कर लेगा। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्था/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
3. संस्था द्वारा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश 2003 द्वारा मूल अधिनियम 1973 की धारा-37(2) में प्राविधानित परन्तुक के अनुसार सम्बद्धता प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष की अवधि में सभी निर्धारित मानकों को पूर्ण कर लिया जायेगा, अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
4. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगा।
5. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में पारित आदेश दिनांक 20.12.2012 के अनुपालन हेतु मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या: 522/सत्तर-2-2013-2(650)/2012, दिनांक 30अप्रैल, 2013 का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
6. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अध्यादेश में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही निर्वमानुसार की जायेगी।

### छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/5609/2014

दिनांक 19/9/14

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :-

प्रबन्धक, शिवश्याम महाविद्यालय, शहबाजपुर, हनुमानगंज, इलाहाबाद को उपरोक्त शासनादेश के निर्देशानुसार सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन करने हेतु प्रेषित है। याचिका संख्या 61859/2012 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के मैथ गुप एवं बायो0 गुप में दो-दो सेक्शन (प्रति सेक्शन 60 छात्र) कुल मिलाकर 240 सीट्स तथा कला संकाय के अन्तर्गत गृह विज्ञान, भूगोल एवं उर्दू अतिरिक्त विषयों में 01-01 सेक्शन (प्रति सेक्शन 60 छात्र) कुल 03 सेक्शन 180 सीट्स निर्धारित करते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

उक्त के साथ महाविद्यालय का वेबसाइट, ई-मेल, फोन नं0 आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

2. उपकुलसचिव (परीक्षा), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
3. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर।

(सय्यद वसीर हुसैन)  
कुलसचिव



प्रेरक,

कुल सचिव  
सखनऊ विश्वविद्यालय  
सखनऊ-226 007

दिनांक

24/0/01

उपा में,

The Manager,  
Dr. Rajendra Pd. Memorial Girls' Degree College,  
Rajajipuram, Lucknow.

Dear Sir,

Kindly refer to your letter No. R.P./L.U./Rec./1/016 dated May 22, 2001, regarding grant of recognition to your College for B.Sc. Degree Course under Self-financing Scheme.

In this connection, I am directed to inform you that the Executive Council in its meeting held on August 20, 2001, after considering the report of the panel of the inspectors, has been pleased to grant temporary recognition to Dr. Rajendra Prasad Memorial Girls' Degree College, Rajajipuram, Lucknow, for a period of three years under Self-financing Scheme, for starting B.Sc. classes in the following subjects from the current academic Session 2001-2002. :-

1- Physics 2- Chemistry 3- Botany 4- Zoology 5- Maths. 6- Computer Science.

2- The number of students to be admitted shall be as under:-

- (a) Bot., Zool., Chem. 90 Students,  
(b) Phy., Chem., Maths. 30 Students.  
(c) Phy., Maths., Computer Sc. 30 Students.

3- The College shall have to follow the fee structure as approved by the Government vide G.O. 1960/Sattar-2-97-2(85)/97 dated November 11, 1997 copy enclosed.

4- The College shall have to appoint at least two well qualified Lecturers in every subject on (whole-time) contractual basis.

The College should also appoint one Lab. Asstt. and one Lab boy each for Physics, Chemistry, Zoology, Botany and computer Science/Electronic labs.

5- The Electronics Laboratory should be separate and equipped with at least 10 sets of equipments and appropriate furniture.

The natural light available for the microscopes in Botany and Zoology labs is not sufficient enough and should be supplemented with more light. If individual microscopes are provided with one electric lamp it would be better. The Chemistry lab should have fume hood and exhaust fans and students per batch in the Chemistry lab should be 30-35.

6- The College should provide Library books worth Rs. 15,000/- in each subject of study in the first year and books worth Rs. 10,000/- per year in each subject in the Second and third year of teaching. A provision for Library books for Rs. 5000/- per subject will have to be made for subsequent years. It will be beneficial that if the College contacts the Head of the Departments of the subjects concerned and get from them the latest syllabi and list of books prescribed/recommended.

7- Preparations for teaching B.Sc. IInd, and IIIrd classes should be started and separate block for teaching of Science subjects be created in due course of time.

8- The College shall have to abide by the decision of the Executive Council regarding Self-financing Scheme.



: - 2 : -

9- The College should complete all admissions latest by August 31, 2001 for the current session and no admission beyond that date will be permissible.

You are requested to kindly acknowledge the receipt of the letter and send undertaking for fulfilling the conditions laid down for opening B.Sc. classes.

Yours faithfully,

( Bhaskar Upadhyay )  
Registrar.

No. :-

Dated :-

Copy forwarded to the following for information and necessary action to :-

- 1- The Dean, Faculty of Science, Lucknow University.
- 2- The Heads Department of Physics, Chemistry, Botany, Zoology, and Maths.
- 3- The Controller of Examinations, Lucknow University.
- 4- The Dy. Registrar (Exams.), Lucknow University.
- 5- The Finance Officer, Lucknow University.

A Handwritten signature  
शास्त्रिणी

( Bhaskar Upadhyay )  
Registrar.

ग० राजेन्द्र प्रसाद मेमोरियल गवर्नर्स विद्यापीठ  
गजपती पुर, बलराम





# डा० राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, फैजाबाद (उ०प्र०)

संख्या : लो०अ०वि० / सम्ब० / 2016 / 16373

दिनांक : 11-9-2016

सेवा में,

प्रबन्धक,

राजाराम महाविद्यालय, असरफपुर,

मजगवां, जलालपुर, अम्बेडकरनगर।

विषय : महाविद्यालय को स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के अन्तर्गत बी०ए० एवं बी०एस-सी० पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा 37(2) में उल्लिखित प्राविधानों के क्रम में कुलपति महोदय के आदेश के अनुपालन में कार्यपरिषद की स्वीकृति की प्रत्याशा में राजाराम महाविद्यालय, असरफपुर, मजगवां, जलालपुर, अम्बेडकरनगर को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, उर्दू, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल एवं गृहविज्ञान विषय तथा स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जन्तुविज्ञान एवं गणित को संचालित किये जाने हेतु निरीक्षण मण्डल की संस्तुति सहित आख्या पर शासन द्वारा गठित सम्बद्धता समिति के संस्तुति के उपरान्त निम्नलिखित कमियों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिनांक: 01.07.2016 से आगामी एक वर्ष हेतु सम्बद्धता प्रदान किया जाता है-

1. महाविद्यालय/संस्था इंगित कमियों यथा-प्रवक्ता एवं प्रबन्ध समिति अनुमोदित नहीं है, से सम्बन्धित कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षिक सत्र में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा। विश्वविद्यालय से अनुमोदित प्राचार्य/ विभागाध्यक्ष/प्रवक्ताओं की नियुक्ति कर कार्यभार ग्रहण कराकर, नियुक्ति पत्र/कार्यभार ग्रहण करने का पत्र एवं अनुबन्ध पत्र की एक प्रति विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी।
2. प्रयोगशालाओं में उपकरण उपलब्ध होने तथा उनके क्रय की रसीद फोटोग्राफ एवं इस आशय का फोटोयुक्त नोटरी शपथ-पत्र तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करें।
3. महाविद्यालय/संस्था शासनादेश संख्या: 2851/सत्तर-2-2003-16(32)/2002 दिनांक 2 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किये जाने वाले मानकों तथा शासन द्वारा निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों एवं दिये जाने वाले समस्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेगी।
4. महाविद्यालय/संस्था विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में बर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने एवं प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
5. महाविद्यालय/संस्था को सम्बद्धता आदेश प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित पत्रों/सूचनाओं के असत्य पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी। एवं प्रबन्धक के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. शासनादेश के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति, अनुबन्ध पत्र एवं बैंक के माध्यम से वेतन का भुगतान तथा सी०पी०एफ० की कटौती शासनादेश के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।
7. अनुमोदित अध्यापकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें जिससे विश्वविद्यालय द्वारा उनका भौतिक सत्यापन किया जा सके एवं निर्देशित किये जाने पर उन्हें विश्वविद्यालय में उपस्थित करना होगा। अनुमोदित शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेगे।
8. महाविद्यालय/संस्था द्वारा कमियों एवं शर्तों का निराकरण तीन माह के अन्दर करते हुए विश्वविद्यालय को शपथ पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा कि महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों को पूरा कर लिया गया है।

भवदीय

कुलसचिव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. परीक्षा नियन्त्रक/ वित्त अधिकारी/उप कुलसचिव परीक्षा।

2. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

01/09/2016

कुलसचिव





# नेताजी सुभाष चन्द्र बोस राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय

## Netaji Subhash Chandra Bose Govt. Girls P.G. College

अलीगंज, लखनऊ - 226024

Home Department Admission Events NAAC/IQAC IGNOU SC 27202 IIC NIRF MISC.

Contact Us

### An online solution for NSCBians

Call Us Now: +91522 351 8141



This is the online solution for Registration and Payment.



UG Courses (BA, B.COM & B.SC), PG Courses MA (Home Science, Economics, Ancient Indian History & Sociology) and MSc - Zoology



College Code: 1059  
Affiliated to University of Lucknow

#### // UPCOMING EVENTS //

Online Admission Form for UG has been started from 05.04.2023.

#### ONLINE ADMISSION 2023-2024

Online Applications for Undergraduate courses will be applied from 05 April, 2023. Kindly visit website regularly.

RE OR  
LOGIN

#### ABOUT US



Prof. Anuradha Tiwari  
Principal

Profile

Message

#### Historical Background

The aim of education is the knowledge, not of facts, but of values. Netaji Subhash Chandra Bose Govt. Girls Degree College was established to fulfil this aim. It was established in the international women year to augment higher education among women. It was named after the great Indian leader Netaji Subhash Chandra Bose who was a champion of women's rights. The foundation stone of the college was laid by Sri Atal Behari Bajpai on 14th April 1997. There are many private colleges in the city but this was the first Government College.

The college building was formally inaugurated on Oct.3, 1997 by Sri Atal Behari Bajpai. The college building is constructed over the land





area of 10886 sq.m. by Lucknow Development Authority.

S-870  
57

### COURSES OFFERED

#### UG Courses:

B.A. - Subjects: Ancient Indian History, Hindi, English, Economics, Education, Home Science, Physical Education, Political Science, Psychology, Sociology and Sanskrit.

B.Sc. - Subjects: Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Zoology

B.Com. - Compulsory Subjects by the University.

#### PG Courses:

M.A.- Ancient Indian History, Economics, Home Science and Sociology

M.Sc. - Zoology



### NOTICE BOARD

Alumni Meet 2020-21 & 2021-22 Registration Link **new**  
Uploaded Date: Dec 3 2022 11:19PM

Alumni Meet 2020-21 & 2021-22 **new**  
Uploaded Date: Dec 3 2022 11:17PM

Kartik Purnima Holiday Notice **new**  
Uploaded Date: Nov 7 2022 2:09PM

MA/ MSc Admission Notice **new**  
Uploaded Date: Nov 1 2022 2:58PM

Holiday Notice 13.10.2022 **new**  
Uploaded Date: Oct 12 2022 8:09PM

[View All](#)



College Code: 1059

Affiliated to: University of Lucknow

### LOGIN CREDENTIALS

Server Time: 4/26/2023 8:45:54 AM  
[Webmail Login](#)

### CONTACT

Sector-D Aliganj, Lucknow  
Telephone: +91 522 351 8141  
E-mail: nscbgdc@gmail.com



### USEFUL LINKS

[Lucknow University](#) [LU Exam](#)  
[निदेशालय](#) [DDO Interface](#)  
[Scholarship](#) [Home](#) [Contact Us](#)  
[New Events](#)



Oel dynasty is remembered for its outstanding contribution in the field of education. Raja Yuveraj Dutta Singh Ji played a commendable role in spreading education. He donated with open heart to many institutions, viz. Lucknow University, BHU and university of Allahabad. He was of the opinion that his left hand should not know what his right hand donated. He would say that he acts according to the wish of God. He realized that district Kheri was concerned. So he along with cooperation of other Taluqdars established P.K. Inter College in July 1935. He had been the president of this college throughout his life. This college has played a laudable role in spreading education. .

For developing rural areas of his state he decided to establish an educational institution in Oel town. In July 1938 his dream came true by establishment of Y.D. Inter College, Oel, Kheri. In that time more than three lacs rupees were spent on constructions of building.

Raja Saheb realized importance of higher education decades ago and he established Y.D.P.G. College, Lakhimpur-Kheri in 1949. He appointed Padma Bhushan Dr. Jaidev Singh as a Principal for successful journey & bright future of the college. The college was affiliated to Agra University, Agra. Initially B.A and B.Com courses were started at the College. Later, in 1951 the existing departments were extended and M.A. in history, Hindi and Philosophy were started. In 1959, B.Sc. (maths) was also started. The College again continued its onward expansion and started M.A. in Political Science, Economics and English in 1961. College changed its affiliation from Agra University, Agra to Chhatrapati Sahu Ji Maharaj University, Kanpur (erstwhile Kanpur University, Kanpur) in 1966. In 1970, B.Sc. (biology) was also started at the College. After few years, B.Ed. course was started in the session of 1973-74. Admission into M.Com. started in 1984. The first post graduation in science, viz. M.Sc. (Botany) was started in 2000 under self finance scheme. The College management strived to enrich the college by appointing highly qualified and committed faculty. The details of founder heads of the respective departments are in the list below.

#	Department	Founder Head
1.	Philosophy	PADAM BHUSHAN Dr. Jaidev Singh
2.	Economics	Dr. R N Mishra
3.	English	Dr. I D Dubey
4.	Hindi	Dr. Kunwar Chandra Prakash Singh
5.	Political Science	Sri Rameshwar Singh Janwar
6.	History	Dr. Ganpat Singh
7.	Sanskrit	Dr. Lakshi Kant Dixit
8.	Commerce	Dr. D S Chauhan
9.	Education	Dr. Amar Nath Sinha
10.	Physical Education	Dr. Ganga Singh Rana
11.	Physics	Mr T D Singh
12.	Mathematics	Sri S N Singh



13.	Chemistry	Mr. K Satyanarayan Swami
14.	Zoology	Dr. A S Saxena
15.	Botany	Dr. M P S Chauhan

## YUVERAJ DUTTA P.G. COLLEGE

Jaidev Nagar, Rajgarh,  
Sitapur Road, Lakhimpur-Kheri, - 262701  
Uttar Pradesh, India

Phone: 05872-263188

Email: ydpgcollege@gmail.com

### External Links

- > Lucknow University
- > U.G.C.
- > UPHED
- > MHRD
- > SHODH GANGA
- > NPTEL

### Useful Links

- > Home
- > About us
- > Department
- > Gallery
- > Alumni Registration

### Our Social Networks

Connect With Us On



[Disclaimer](#) | [Privacy Policy](#) | [Refund and Cancellation](#) |  
[Terms and Conditions](#)

S-031  
SB

## सम्बद्धता आदेश

उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०१४) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १४ सन् २०१४) की धारा-३७(२) के परन्तुक के अधीन कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन की प्रत्याशा में विश्वविद्यालय स्तर पर गठित सम्बद्धता समिति की संस्तुतियों पर मा० कुलपति जी के अनुमोदन दि० ०७.०९.२०१६ के अनुपालन में बीबी०एस० पब्लिक डिग्री कालेज, बरना, लाल गोपालगंज, कुण्डा, प्रतापगढ़ को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में २४० सीट्स (६०×२=१२० बायोग्रुप, ६०×२=१२० मैथ्सग्रुप) बी०एससी० पाठ्यक्रम, तथा परास्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी, शिक्षाशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल एवं प्राचीन इतिहास विषयों में प्रति विषय ६० सीट्स के अनुसार एम०ए० पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र २०१६-१७ हेतु स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संचालित किये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

- संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-२८५१/सत्तर-२-२००३-१५(९२)/२००२, दिनांक ०२ जुलाई २००३ में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
- महाविद्यालय द्वारा समस्त कमियों का निराकरण प्रवेश एवं कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व करा लिया जायेगा तथा उपरोक्त कमियों की पूर्ति से सम्बन्धित शपथ-पत्र/अभिलेख महाविद्यालय द्वारा समयान्तर्गत विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा। संस्था कुलसचिव को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्त निरन्तर पूरी कर रहा है।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की अधिनियम/परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित न किये जाने की दशा में उ.प्र. राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस किये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
- संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश प्रमाणित प्रपत्रों एवं सूचनाओं के आधार पर जारी किया जा रहा है। प्रमाणित प्रपत्रों/सूचनाओं के अस्तित्व पाये जाने की दशा में महाविद्यालय को प्रदत्त सम्बद्धता स्वतः समाप्त हो जायेगी।
- महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों का बायोडाटा, अनुबन्ध पत्र वेतन भुगतान का विवरण अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। अनुमोदित/कार्यरत शिक्षकों के द्वारा ही परीक्षा आदि कार्य सम्पादित कराये जायेंगे।
- मा. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-६१८५९/२०१२ में पारित आदेश दिनांक २०.१२.२०१२ के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-५२२/सत्तर-२-२०१३-२(६५०)/२०१२ दिनांक ३० अप्रैल २०१३ का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। महाविद्यालय एक माह के अन्दर विश्वविद्यालय से शिक्षकों का अनुमोदन कराने के उपरान्त ही कक्षा का संचालन किया जायेगा।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेश का पालन सुनिश्चित करेगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा शासनादेश संख्या-४२१/सत्तर-१-२०१५-१६ (२०)/२०११, दिनांक २२ मई २०१५ के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
- संस्था/महाविद्यालय को सम्बद्धता आदेश अवस्थापना सुविधाओं की पूर्ति/सत्यापन के शर्तों के अधीन संचालित किए जाने हेतु अनुमति प्रदान की जा रही है। महाविद्यालय इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा कि अवस्थापना सुविधायें एक माह के अन्दर पूरी कर ली जायेंगी।
- संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार अनुमोदित एवं कार्यरत शिक्षकों की निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी।

(संजय कुमार)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -  
१ प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-६, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।





## छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर CHHATRAPATI SHAHU JI MAHARAJ UNIVERSITY, KANPUR

कल्याणपुर, कानपुर - 208024  
Kalyanpur, Kanpur - 208024

सन्दर्भ सं०: सी.एस.जे.एम.वि.वि./कुसका./सम्ब./35/2019

दिनांक: 30/6/2019

### सम्बद्धता-आदेश

उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथासंशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014) (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14 सन् 2014) की धारा-37(2) के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुमति एवं कार्यवाही के अन्तर्गत उच्च स्तरीय सम्बद्धता समिति की अनुमति (दिनांक: 30.05.2019) से फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर को स्नातक स्तर पर विज्ञान संकाय के अन्तर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान एवं गणित विषयों में सत्र 2019-20 से आगामी तीन वर्षों हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है-

1. संस्था/महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र-बी में इंगित समस्त कमियों (यथा- अद्यतन अग्निशमन प्रमाण पत्र सलग्न नहीं है, नेशनल बिल्डिंग कोड प्रमाण पत्र सलग्न नहीं है, परीक्षाफल सलग्न नहीं है) को 30 जून, 2019 को पूर्ण कर देगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्षों में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा।
2. संस्था/महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्र-2-2003-16(92)/2002, दिनांक 02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी।
3. सूची में जिन संस्थानों/महाविद्यालयों के सशर्त सम्बद्धता/सम्बद्धता की संस्तुति की गयी है, उनके सम्बन्ध में महाविद्यालय द्वारा कक्षा प्रारम्भ करने से पूर्व इंगित सभी कमियों एवं शर्तों का निराकरण करा लिया जायेगा। कमियों की पूर्ति सुनिश्चित कर लेने की स्थिति से अवगत कराते हुए अनिवार्य रूप से माननीय कुलपति जी से कक्षा संचालन की स्वीकृति प्राप्त कर ली जाएगी। संस्था विश्वविद्यालय के कुलसचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी को इस आशय का प्रमाणपत्र प्रतिवर्ष प्रेषित करेगा कि संस्थान/महाविद्यालय सम्बद्धता की शर्तें निरन्तर पूरी कर रहा है।
4. यदि संस्था/महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।
5. संस्था द्वारा प्रवेश एवं परीक्षाओं आदि से सम्बन्धित विश्वविद्यालय परिनियमावली/अध्यादेश एवं सुसंगत शासनादेशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
6. महाविद्यालय समय-समय पर प्रवेश तथा पाठ्यक्रम संचालन एवं परीक्षा के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का सम्यक अनुपालन समग्रता में सुनिश्चित करेगा अन्यथा सम्बद्धता वापसी की कार्यवाही विचारणीय होगी।
7. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-421/सत्र-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित की जाएगी।
8. मानकानुसार शिक्षकों की निरन्तरता एवं बैंक के माध्यम से उनके वेतन भुगतान महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
9. रिट याचिका संख्या-61859/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक: 20.12.2012 के अनुपालन में मानकानुसार शिक्षकों के अनुमोदन/नियुक्ति के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-522/सत्र-2-2013-2(650)/2012, दिनांक: 30 अप्रैल, 2013 का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। कक्षा संचालन पूर्व संस्था/महाविद्यालय द्वारा मानकानुसार शिक्षक अनुमोदित कराते हुए नियुक्ति, अनुबन्ध आदि प्रपत्र विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से दिनांक: 30.06.2019 तक उपलब्ध कराया जायेगा।

(डा० विनोद कुमार सिंह)  
कुलसचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव कुलपति, माननीय कुलपति जी के अयलोकनार्थ।
2. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-6, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्राचार्य, फखरुद्दीन अली अहमद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, महमूदाबाद, सीतापुर को इस आशय से प्रेषित है कि सम्बद्धता आदेश में वर्णित शर्तों का अनुपालन महाविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
5. परीक्षा नियंत्रक, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
6. सिस्टम मैनेजर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर को इस आशय से प्रेषित है कि पत्र को सम्बन्धित महाविद्यालय को कालेज लॉगिन में अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. प्राचार्य, ई०डी०पी० सेंटर, सी०एस०जे०एम०वि०वि०, कानपुर।
8. कुलसचिव कार्यालय।
9. सम्बन्धित पत्रायली।

(डा० विनोद कुमार सिंह)  
कुलसचिव

Scanned by CamScanner